र ति का The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 3631 No. 363 नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आबाद 31, 1935

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASHADIIA 31, 1935

सृक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(खादी और ग्रामोद्योग आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 498(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 15 की उप भारा (2) के खंड (ट) के साथ पाँठत धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमादन य निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय। प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खादी विनियम, 2013 है। चिह्न
- ये 2 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त होंगे। (2)
- ये विनियम उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो खावी के उत्पादन, बिकी या खावी और खावी उत्पादों उत्पादों के व्यापार में लगे हुये हैं या जो खावी के उत्पादन और खावी उत्पादों की बिकी या व्यापार करने के इच्छुक हैं तथा उन प्रमाणित खावी संस्थाओं पर जिनके पास खावी और प्रामोधोग आयोग विनियम, 2007 के बिनियम 24 के उप-विनियम पास खावी और प्रामोधोग आयोग विनियम, अधिनियम, 1956 की उप धारा (2) के साथ पिटा जादी और ग्रामोधोग आयोग अधिनियम, 1956 की उप धारा (2) के अंब (ट) के अधीन जारी वैध प्रमाण पत्र है। (3)
- परिभाषाएं:- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 2.
 - "प्रत्यायित अभिकरण" से इन विनियमों के अध्याय ∨ के अधीन आयोग (क) द्वारा लगाया गया अभिकरण अभिप्रेत है;
 - "अधिनियम" से खादी और ग्रामीधोग आधीग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) अभिप्रेत है;

- (ग) 'प्रमाणित खादी संस्था' से खादी संस्थान अभिप्रेत है जो वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए आयोग या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में सूचीबद्ध है और उसे खादी और ग्रामोद्योग विनियम, 2007 के विनियम 24 के उप विनियम (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (2) के खंड (ट) के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी ऐसे प्रमाणन के लिए संहिता के अनुसार वैद्य खादी प्रमाण पत्र जारी किया गया है;
- (घ) "आयोग" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है;
- (इ.) "समिति" से विनियम 9 के क्रमशः उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन गठित यथास्थिति केन्द्रीय खादी चिह्न समिति या आंचलिक खादी चिह्न समिति जो भी उपयुक्त हो, अभिप्रेत है;
- (च) "प्रक्रप" से इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररुप अभिप्रेत है;
- (छ) "खादी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा समनुदेशित है;
- (ज) "खादी चिह्न" से खादी और खादी उत्पादों की प्रत्येक मद पर केन्दीय खादी चिह्न समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली या प्रमाणित खादी संस्था द्वारा खादी की वास्तविकता को अधिप्रमाणित करने वाले विनियम 22 के अधीन पंजीकृत चिह्न है;
- (झ) "खादी उत्पाद" से *खादी* से बनाये गये या *खादी* को उपयोग में लाये गये कोई उत्पाद अभिप्रेत है;
- (ञ) "खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किया गुमा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विपणन अभिकरण" में कोई ऐसा संगठन सम्मिलित है जिसने आयोग के पास अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (घ) में यथा उपवंधित खादी और ग्रामोद्योग के विपणन उत्पाद के लिए धीरे-धीरे संबंध स्थापित किए हैं;
- (ठ) "व्यक्ति" से खादी के उत्पादन, बिक्की या खादी और खादी उत्पादों के व्यापार में या इनके संयोजन में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं
- (i) कोई व्यष्टि;
- (ii) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब;
- (iii) कंपनी;

- (iv) फर्म;
- (v) व्यक्तियों का संघ या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या न हो ;
- (vi) किसी पूर्ववर्ती उप-खर्डों के भीतर न आने वाले प्रत्येक कृत्रिम या न्यायिक व्यक्ति:
- (vii) कोई अभिकरण, जिसका कार्यालय या शाखा उसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो या नियंत्रण में हो;
- (ङ) 'नियम' से अधिनियम की धारा 26 के अधीन बनाए गए खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 अभिप्रेत है;
- (ढ) "एस- ट्विस्ट सूत" या "उल्टा बट सूत" का तात्पर्य उस सूत से है जिसको जब ऊर्ध्वस्थ (खड़ी) स्थिति में रखा जाता है, उस सूत की धुरी से तंतु झुकाव अंग्रेजी अक्षर 'एस' के मध्य भाग के ढलान के अनुरूप होता है जो हाथ कते सूत की एक विशेषता होती है।

अध्याय- 2

खादी चिह्न के उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

- उ. खादी चिह्न के बिना खादी के संबंध में साधारण प्रतिषेध किसी भी वस्त्र का किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा खादी के रुप में इन विनियमों के अधीन आयोग द्वार जारी किये गये खादी चिह्न टैग या लेबल को धारण किये बिना किसी रूप या रीति से खादी या खादी के उत्पादनों की बिकी या अन्यथा व्यापार नहीं किया जा सकेगा ।
- 4. खादी चिह्न का उपयोग करने के लिए बाध्यता- कोई भी संस्था या व्यक्ति जो खादी की बिकी के व्यापार में लगी है, खादी या खादी उत्पादों को उपाप्त नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी खादी या खादी उत्पाद इन विनियमों के अधीन जारी किये गये खादी चिह्न का टैग या लेबल धारण नहीं करती है।
- 5. जनता के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकटीकरण की बाध्यताएँ प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जो खादी या खादी उत्पादों के व्यापार में लगी है, उत्पादों पर सूत का अंक, किस्म जिसमें कि उत्पाद सूती, ऊनी, सिल्क या उसके संयोजन की श्रेणी है, प्रदर्शित करेगी, उत्पादन करने वाली संस्था का नाम, उत्पादन का वर्ष और स्थान और उसके बेहतर विक्रय के अनुपात के लिये यथावश्यक उत्पादनों पर ऐसी अन्य सूचना दर्शायेगी और ग्राहकों की माँग पर उन्हें सूचित करने हेतु प्रति इंच

का छोर, प्रति इंच को बिनना और चौड़ाई के साथ वास्तविक निर्माण के ब्यौरे का अभिलेख भी रखेगी।

- 6. साधारण बाध्यता (1) प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जिसके पास खादी चिह्न का रजिस्ट्रेशन है वह खादी और खादी उत्पाद की प्रत्येक वस्तु पर आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाने वाला खादी चिह्न टैग या लेबल या दोनों लगाएगा।
 - (2) खादी उत्पादन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था कारीगरों का रिजस्टर रखेगी जिसे आयोग या यथास्थिति समिति अथवा आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (3) खादी उत्पादन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था कच्चे मालों के उपापन का रिजस्टर रखेगा जिसमें उपाप्त की गई कच्चे माल का स्रोत और मात्रा दर्शायी होगी और कारीगरों को जारी की गयी मात्रा, रूपांतरण रिजस्टर जिसमें उपभुक्त कच्ची सामग्री और तैयार माल का उत्पादन दर्शाया होगा और माल का प्रेषण रिजस्टर होगा।
 - (4) खादी उत्पादन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था आयोग को वास्तविक रूप से कच्चे माल का और तैयार मालों का अंतिम स्टॉक दर्शाने वाला तिमाही विवरण स्थानवार दर्शायेगा और वास्तविक रूप से तैयार मालों का, आयोग को संबंधित राज्य या मंडलीय कार्यालयों के माध्यम से यथास्थिति प्रस्तुत करेगी जो उन पर अपनी टिप्पणी, दस्तावेजों को प्रतिहस्तांतरित करते समय अभिलेखित करेंगे।
 - (5) खादी उत्पादन करने वाला व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जिसे स्टॉक का, स्टॉक रिजस्टर उचित रूप से रखा नहीं पाया जाता है, जैसा कि उस व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था के पास पाया जाता है तो वह ऐसी विसंगति के लिए आयोग को स्पष्टीकरण देने हेतु उत्तरदायी होगा और वह खादी चिह्न के उपयोग करने के अधिकार के निलंबन या रदद्करण की कार्यवाही होने के लिए दायी होगा।
 - (6) आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए खादी उत्पादन करने वाले व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को कोई अन्य अभिलेख भी बनाये रखने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जो इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हो सके और व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था आयोग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले निदेशों का अनुपालन करने का उत्तरदायी होगा।

अध्याय - 3

खादी से संबंधित व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था की साधारण बाध्यताएं

- 7. जब तक कि अभिव्यक्त रूप में उपबंधित नहीं है तब तक बिजली के उपयोग पर प्रतिषेध:- (1) इन विनियमों के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बिजली का उपयोग करने पर प्रतिषेध है अर्थात्:-
 - (क) पारंपरिक चरखा (एक तकुआ) या बहु तकुआ चरखा या कतान या रील के लिये रीलिंग बेसिन पर, सूती या ऊनी या रेशम या तो एकल रूप से या उनके उपयुक्त मिश्रण से कताई;
 - (ख) कपड़ा बुनाई के लिए, पारंपिरक करघा या उन्नत करघा चलाना, जिसमें हाथ कता या हाथ से रीलींग हुआ सूत (सूती या ऊनी या रेशमी या तो एकल रूप से या उनके उपयुक्त मिश्रण से) ताने और बाने दोनों में उपयोग किया हो;
 - (2) एस-ट्विस्ट/उल्टा बट सूत केवल हस्त कताई द्वारा खादी उत्पादन के लिए उपयोग में लाना।
 - 8. खादी चिह्न के उपयोक्ताओं के लिए पूर्व-शर्त:- (1) खादी बिकी करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित प्राकृतिक रेशे के उपयोग द्वारा हाथ कताई और हाथ बुनाई प्रक्रिया के जिरए खादी उत्पादन करेगी या इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध खादी चिह्न वाली संस्था या व्यक्ति से खादी का क्रय करेगा।
 - (2) खादी के उत्पादन एवं बिकी में लगा हुआ कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था के पास उत्पादन और बिकी की मूलभूत सुविधायें तथा खादी के उत्पादन के लिए कारीगर होने चाहिए जो आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।
 - (3) खादी के व्यापार या खादी उत्पाद में लगा हुआ कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जिनके पास वैध खादी चिह्न रजिस्ट्रीकरण है, इन विनियमों के अधीन जारी किये गये व्यक्ति प्रमाणित खादी संस्था से खादी उपाप्त करेगा और ऐसी खादी और खादी उत्पाद का उपापन स्रोत घोषित करेगा और दर्शाएगा।
 - (4) खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था विनियम 22 के अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(5) कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जिसने खादी चिह्न रजिस्ट्रीकरण को प्राप्त करने या उसके नवीमीकरण लिए आवेदन किया है, इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट स्वयं परीक्षण के अध्यधीन होगा।

अध्याय-4

समितियों का गठन और उनके कार्य

- 9. केन्द्रीय खादी चिह्न समिति और आंचलिक खादी चिह्न समितियों का गठनः-(1) आयोग, विनियम 11 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन से खादी और खादी उत्पादों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए खादी चिह्न जारी पंजीकरण करने के प्रयोजन से एक केन्द्रीय खादी चिह्न समिति का गठन करेगा।
 - (2) आयोग इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियमों में विनिर्दिष्ट, विनियम 11 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजनों से प्रत्येक अंचल के लिए आंचलिक खादी चिह्न समिति गठित करेगा।
- 10. केन्द्रीय खादी चिह्न समिति और आंचलिक खादी चिह्न समितियों का गठनः-(1) केन्द्रीय खादी चिह्न समिति में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्ः-
 - (क) आयोग द्वारा नियुक्त किये जाने वाला ऐसा वृत्तिक विशेषज्ञ जिसे खादी के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो - अध्यक्ष ;
 - (ख) आयोग का वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती पदेन सदस्य ;
 - (ग) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का प्रतिनिधि पदेन सदस्य ;
 - (घ) आयोग के विधि मामले का प्रभारी निदेशक पदेन सदस्य ;
 - (ड.) विपणन का प्रभारी निदेशक-पदेन सदस्य;
 - (च) निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान का निदेशक या उसका प्रतिनिधि जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो पदेन सदस्य;
 - (छ) भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक या उसका प्रतिनिधि जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो - पदेन सदस्य;
 - (ज) गुणता आश्वासन, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय-महानिदेशक या उसका प्रतिनिधि जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो-पदेन सदस्य;

- (झ) राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड का निदेशक या उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक की रैंक से कम न हो - पदेन सदस्य;
- (ञ) आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित संस्थान से वस्त्रोद्योग प्रौद्योगिकी या इंजिनियरी का विशेषज्ञ - पदेन सदस्य ;
- (ट) सरकारी प्रयोक्ता संगठनों से एक प्रतिनिध-पदेन सदस्य;
- (ठ) केन्द्रीय प्रमाणन आयोग समिति का प्रभारी निदेशक पदेन संयोजक सदस्य।
- (2) आंचलिक खादी चिह्न समिति निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात:-
 - (क) आयोग का आंचलिक सदस्य -पदेन अध्यक्ष;
 - (ख) चकानुकम पर अंचल के आयोग के तीन राज्य या मंडलीय कार्यालयों के प्रभारी निदेशक पदेन सदस्य;
 - (ग) चकानुकम पर अंचल के तीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या सचिव या सदस्य-सचिव या प्रभारी कार्यकारी अधिकारी - पदेन सदस्य;
 - (घ) चकानुकम पर अंचल की तीन संस्थाओं में से एक-एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य ;
 - (ड.) आयोग के राज्य कार्यालय, जहाँ आंचलिक कार्यालय स्थित है, का उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी या निदेशक - पदेन सदस्य-संयोजक ;
- सिमितियों के कार्य:- (1) केन्द्रीय खादी चिह्न सिमिति निम्न कृत्यों का निष्पादन करेगी अर्थात्:-
 - (क) खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण जारी करना, निलंबित करना, रद्द करना तथा प्रत्यावर्तित करना;
 - (ख) खादी और खादी उत्पादों के परीक्षण के लिये प्रक्रियायें और पद्धतियाँ अधिकथित करना;
 - (ग) आंचलिक खादी चिह्न समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना और खादी चिह्न से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देना;
 - (घ) खादी चिह्न के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा या स्थल लेखा परीक्षा, निरीक्षण और ऐसी ही संभाव्यता का आयोजन करना;
 - (इ.) प्रत्यायित अभिकरणों या विपणन अभिकरणों के किसी क्रियाकलाप या कार्यवाहियों द्वारा व्यथित संस्थाओं या प्रमाणित खादी संस्था द्वारा दर्ज की गई किसी शिकायत को प्राप्त करना और उस पर अपना निर्णय लेना।

- (2) आंचलिक खादी चिह्न समिति निम्न कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:-
 - (क) कैन्द्रीय खादी चिह्न समिति द्वारा व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को जारी किये गये खादी चिह्न रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करना;

 (ख) प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले खादी चिह्न प्रक्रिया के सत्यापन और नमूना परीक्षण के लिए कार्यक्रम का आयोजन अथवा प्रबंध करना;

- (ग) खादी चिह्न टैग या लेबल आयोग के राज्य और मंडलीय कार्यालयों या आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत अभिकरणों को वितरण के लिये जारी करना:
- (घ) खादी चिह्न रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा या स्थल लेखा परीक्षाओं और निरीक्षणों का आयोजन करना:
- (इ.) केन्द्रीय खादी चिह्न समिति द्वारा उसे समनुदेशित किन्ही अन्य कृत्यों का निष्पादन करना;
- 12. समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि:-
 - (1) यथास्थिति केन्द्रीय खादी चिह्न समिति या आंचलिक खादी चिह्न समितियों के पदेन-सदस्य को छोड़कर अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या आयोग के प्रसादपर्यंत जो भी पूर्ववर्ती हो, पद धारण करेगा;
 - (2) सिमिति का कोई भी कृत्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में से किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके किसी दोषपूर्ण गठन के द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी ।
- 13. सिमितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की निर्र्हताएं:-कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन किसी सिमिति का सदस्य बने रहने के लिए निर्राहत (अयोग्य) होगा, यदि वह -
 - (क) केन्द्रीय सरकार की राय में सहभागी नैतिक दुराचरण को अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है;
 - (ख) दिवालिया हो गया है;
 - (ग) विकृत चित्त का हो गया है;
 - (घ) आयोग द्वारा की गई किसी विद्यमान संविदा या किये जा रहे किसी कार्य में या इन दोनों में से कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कम्पनी का शेयर धारक (निदेशक से भिन्न) की हैसियत के सिवाए खादी चिह्न समिति में कोई वित्तीय हित रखता है:

परंतु जहाँ पर वह ऐसी कंपनी में शेयरधारक है, तो वह अपने शेयरधारिता का स्वरूप और विस्तार आयोग को प्रकट करेगा;

- (ड.) खादी और खादी उत्पादों संबंधी किसी अन्य क्रिया-कलाप या इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये या समझे गये विनिर्दिष्ट उद्योग के साथ व्यवहार करने के किसी कारोबार में उसका कोई हित है;
- (च) आयोग की राय में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है या असमर्थ है या समिति की अनुमित के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है ।
- 14. सिमितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा पद से त्यागपत्र देना:- सिमिति का अध्यक्ष और पदेन सदस्य को छोड़कर प्रत्येक सदस्य आयोग को लिखित में सूचना द्वारा अपने पद से अपना त्यागपत्र दे सकता है और आयोग द्वारा ऐसे त्यागपत्र की स्वीकृति करने पर, ऐसे सदस्यों का पद रिक्त हुआ समझा जायेगा ।
- 15. अध्यक्ष और सदस्यों को देय बैठक फीस : (1) पदेन सदस्यों से भिन्न, सिमितियों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को समय-समय पर आयोग द्वारा यथानिर्धारित ऐसी बैठक फीस दी जाएगी।
 - (2) सिमिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, सिमिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए यात्रा करने हेतु और इस निमित्त समय-समय पर केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार, सिमिति द्वारा उन्हें समनुदेशित किये जाये, ऐसे कर्तव्यों के निवर्हन के प्रयोजनों से यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।
- 16. सिमिति का कार्यालय:- केन्द्रीय खादी चिह्न सिमिति का कार्यालय आयोग के मुख्यालय में और आंचलिक खादी चिह्न सिमिति का कार्यालय संबंधित अंचल के मुख्यालय में होगा।
- 17. सिमिति की बैठकें:- (1) केन्द्रीय खादी चिह्न सिमिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी जो आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए।
 - (2) आंचलिक खादी चिह्न समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी जो आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए।
 - (3) समिति का अध्यक्ष बैठक की कार्य सूची पहले से विनिश्चित करेगा।
 - (4) अध्यक्ष की अनुपस्थित में, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

- (5) प्रत्येक समिति की एक-तिहाई या पाँच सदस्य, जो भी अधिक हो, उससे बैठक की गणपूर्ति पूरी करेंगे।
- (6) यदि समिति की किसी बैठक में गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो अध्यक्ष ऐसी बैठक को अन्य तारीख तक स्थिगित करेगा और ऐसी किसी स्थिगित हुई बैठक के कार्यक्रम का निपटान स्थिगित बैठक में उपस्थित रहने वाले सदस्यों की संख्या का ध्यान किए बिना किया जाएगा।

परंतु स्थिगित बैठक कम से कम सात दिनों के बाद नियत की जाएगी और ऐसी स्थिगित हुई बैठक की तारीख, समय और स्थान के बारे में सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

अध्याय-5 प्रमाणन के लिए प्रक्रिया

- 18. प्रत्यायित अभिकरणों को काम में लगाना :- (1) आयोग भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रत्ययन प्रमाणन निकाय बोर्ड तथा इस प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संगठन के परामर्श से ऐसे प्रत्यायित अभिकरणों को काम में लगा सकता है जैसा कि आयोग खादी और खादी उत्पादों के सत्यापन एवं परीक्षण करने के लिए आवश्यक समझता है।
 - (2) विनियोजन के लिए किसी प्रत्यायित अभिकरण को परखते और सिफारिश करते वक्त आयोग उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगठन से कम से कम एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा।
 - (3) प्रत्यायित अभिकरण को उनके विनियोजन के लिये ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जैसा कि आयोग समय-समय पर विनिश्चय करे।
- 19. प्रत्यायित अभिकरणों की पात्रता:- कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम 1956, सीमित दाबित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 या किसी तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान के अधीन रिजस्ट्रीकृत है, जिनके पास स्थल सत्यापन, डाटा संग्रह और नमूनों के परीक्षण सिंदत खादी से संबंधित कियाकलापों में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव है, वह विनियम 18 के अधीन प्रत्यायित अभिकरणों के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा ।

20. प्रत्यायित अभिकरणों के कृत्य:- प्रत्यायित अभिकरणों के निम्नलिखित कृत्य होंगे-

(क) हाथ से कते और हाथ से बुनाई की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के उत्पादन केंद्रों के परिसरों पर स्थल सत्यापन का संचालन करना;

(ख) खादी की वास्तविकता को सुनिश्चित करने लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा रिजस्ट्रीकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से, व्यक्तियों द्वारा उत्पादित या बिकी खादी और खादी उत्पादों के नमूनों के परीक्षण का संचालन या प्रबंध करना;

(ग) खादी और खादी उत्पाद के सत्यापन के लिए यथा उपलब्ध ऐसे फार्म में प्रमाण

पत्र जारी करना, और

(घ) केन्द्रीय खादी चिह्न समिति के परामर्श से आयोग द्वारा उन्हें समनुदेशित कोई अन्य आनुषंगिक या अनुषंगी कार्य;

21. प्रमाणन के लिए आयोग का अधिकार:- उपर्युक्त किसी बात पर ध्यान दिए बगैर आयोग को उपर्युक्त विनियम 20 में दिए कृत्यों के निष्पादन का अधिकार होगा, यदि प्रत्यायित अभिकरण के कृत्यों की किसी कमी की स्थिति में प्रत्यायित अभिकरण अपने कृत्यों के निष्पादन में असफल रहता है।

अध्याय-6 खादी चिह्न का रजिस्ट्रीकरण

- 22 खादी चिह्न के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रिक्विया:- (1) कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जो खादी चिह्न का रिजस्ट्रीकरण करने का इच्छुक है, तो उसे उप-विनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्ररुप और रीति में आवेदन करेगा।
 - (2) खादी चिह्न के लिए आवेदन:-
 - क) प्ररुप-1 में, खादी चिह्न के लिए प्रमाणित खादी संस्था के रिजस्ट्रीकरण के मामले में;
 - ख) प्ररुप-2 में, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस के साथ खादी चिह्न के लिए व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण में; और
 - (ग) प्ररुप-3 में, व्यक्तियों या प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए खादी चिह्न के नवीनीकरण के मामले में।
 - (3) इस विनियम के अधीन प्राप्त आवेदन की संवीक्षा समिति द्वारा की जायेगी और तत्पश्चात् निश्चित हस्त कताई, हस्त बुनाई और प्राकृतिक रेशे के उपयोग को आंकने हेतु सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

- प्रत्येक आवेदक प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा खादी नमूनों को परखने की प्रक्रिया, सत्यापन और परीक्षण करवाएगा ।
- (5) आवेदक जो इन विनियमों के अधीन अधिकथित शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण यथास्थिति जारी या नवीकरण किया जायेगा।
- (6) खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण पर व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था खादी चिह्न टैंग या लेबल के उपयोग हेतु प्राधिकृत होगा।
- (7) खादी चिह्न का रिजस्ट्रीकरण प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा और नवीकरण के लिए आवेदन, उप-विनियम (2) के पैरा (ग) में विनिर्दिष्ट प्ररुप में उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्व छः मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) इन विनियमों के उपबंधों के भंग करने या अननुपालन के मामले में, केंद्रीय खादी चिह्न समिति, व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को इस सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, खादी चिह्न टैग या लेबल का उपयोग करने के संस्था के अधिकार समेत खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।
- (9) प्रमाणित खादी संस्था को खादी संस्थाएं उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररुप एवं रीति से खादी चिह्न के लिए आवेदन करेंगी। तथापि प्रमाणित खादी संस्थाओं को इन विनियमों के अध्याय-5 के अधीन प्रमाणन प्रक्रिया से छूट प्राप्त है।

अध्याय-7

व्यक्तियों तथा प्रमाणित खादी संस्थाओं के खादी चिह्न रजिस्ट्रीकरण का निलंबन तथा रद्दकरण

23. खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण का निलंबन: (1) व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था द्वारा इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंधन के मामले में अतिकामक को कम से कम एक माह का नोटिस देते हुए, केन्द्रीय खादी चिह्न समिति को इन विनियमों के अनुसार, व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को मंजूर किया गया खादी चिह्न के उपयोग का अधिकार छः मास से अनिधक अविध के लिए निलंबित करेगा।

परंतु समिति निलंबन की अविध को छः मास तक की अतिरिक्त अविध बढ़ाया जा सकता है और अतिक्रमणों को सुधारने में विफल रहने पर खादी चिह्न के उपयोग को रद्द करने का कारण बनेगा।

- (2) व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था जिसका खादी चिह्न टैग या लेबल का उपयोग करने का अधिकार निलंबित किया गया है, वह आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष निलंबन के आदेश के प्रतिसंहरण के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित एक फीस के भुगतान पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर व्यथित व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था की सुनवाई की कार्यवाही करेगा और ऐसा आदेश अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर पारित करेगा जिसे वह उचित आवेदन अपील समझे।
- (4) किसी व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था द्वारा उल्लंघन की दो लगातार घटना होने के मामले में, खादी चिह्न टैग या लेबल का उपयोग करने का अधिकार रद्द किया गया समझा जायेगा और ऐसे मामलों में आयोग व्यक्ति या प्रमाणित खादी किया को जारी किये गये सभी खादी चिह्न टैग या लेबल, टैग या लेबल की लागत के प्रतिदाय के बिना अपनी अभिरक्षा में लेगा।
- (5) केन्द्रीय खादी चिह्न समिति व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था के खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी, जिसका उसकी राय में एक वित्तीय वर्ष की अविध के लिए कार्य बंद है या जिसे निष्क्रिय पाया गया है या उसने खादी चिह्न के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है ।
- 24. खादी चिह्न के रद्दकरण के मामले में शिकायत का अनुतोष:-(1) यथास्थिति, केन्द्रीय खादी चिह्न समिति द्वारा लिये गए खादी चिह्न के निलंबन या रद्दकरण के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, खादी चिह्न के निलंबन या रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है।
 - (2) अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग व्यथित व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद इस अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अविध के भीतर अपील का निपटान करेगा।

अध्याय-8 प्रकीर्ण

- 25. खादी चिह्न टैग तथा लेबल उपाप्त करनाः -(1) खादी चिह्न रिजस्ट्रीकरण के बाद प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को सभी खादी और खादी उत्पादों पर खादी चिह्न टैग या लेबल का उपयोग करने का अधिकार होगा।
 - (2) आयोग द्वारा व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को समय-समय पर खादी चिह्न टैग या लेबल आयोग द्वारा नियत दर पर टैग या लेबल के उपयोग के प्रयोजन से प्रदान किया जाएगा।
 - (3) प्रत्येक व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था खादी चिह्न टैग या लेबलों के उपापन से कम से कम नब्बे दिन पहले आयोग के यथास्थिति संबंधित राज्य या मंडलीय या आंचलिक कार्यालयों से अनुरोध करेगा और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को इसकी आपूर्ति साठ दिनों के भीतर आयोग का संबंधित कार्यालय करेगा।
- 26. खादी चिह्न संबंधी परिवाद:- (1) खादी और खादी उत्पादों या खादी चिह्न के टैग या लेबल के दुरुपयोग संबंधी कोई परिवाद, जहाँ से खादी और खादी उत्पाद खरीदे गये हैं, उस व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था को इसकी खरीद के पंद्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाए।
 - (2) व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था ऐसे परिवादों का अभिलेख रखेगा और प्ररूप-4 में शिकायतकर्ता को प्राप्ति की रसीद देगा।
 - (3) व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था शिकायत की प्राप्ति की तारीख दस कार्य दिवस से अनिधक की अविध के भीतर शिकायत का समाधान करेगा।
 - (4) यदि शिकायतकर्ता का परिवाद के अनुतोष से समाधान नहीं होता है तो यथास्थिति वह आयोग के राज्य या मंडलीय निदेशक को औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकता है।
 - (5) यथास्थिति, आयोग का राज्य या मंडलीय निदेशक, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस कार्य दिवसों की अविध में शिकायत का निपटान करेगा तथा उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

- 27. प्रत्यायित अभिकरण और विपणन अभिकरण से सम्बन्धित शिकायतें.-(1) प्रत्यायित अभिकरण और विपणन अभिकरण द्वारा की गई किसी कार्यवाही या उपायों से व्यथित कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था तीस दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय खादी चिह्न समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है और केन्द्रीय खादी चिह्न समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था और प्रत्यायित अभिकरण तथा विपणन अभिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, नब्बे दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करेगी।
 - (2) केन्द्रीय खादी चिह्न समिति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या प्रमाणित खादी संस्था उप-विनियम (1) के अधीन ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
 - (3) आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप विनियम (2) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद वह समुचित समझे, नब्बे दिनों के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा, जिसमें प्रत्यायित अभिकरण या विपणन अभिकरण की असंलग्नता ऐसी अविध या अविधयों के लिए या उसे देय किसी रकम की कटौती सम्मिलित हो सकती है जैसा, वह उचित समझे।
- 28 अस्पष्टता का निराकरण:- उपर्युक्त में निहित किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार ऐसे अनुदेश जारी कर सकती है जो उक्त विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यदि इन उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई या अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार समुचित निदेश जारी कर सकती है।

प्ररुप-1

[विनियम 22 के उप विनियम (2) के खंड (क) देखें।

प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए 'खादी चिह्न' रजिस्ट्रीकरण प्ररुप

खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(प.), मुंबई, पिन- 400 056, महाराष्ट्र, भारत. वेबसाइट : www.kvic.org.in

केंवल शासकीय प्रयोग हेतु

ावेदन संख्या ज्य/मण्डल कार्यालय का नाम मनुदेशित किए गए प्रत्यायित अ	मिकरण का ना		प्त की तारीख	हि वि मा गा व
ार्य प्रक्रिया				
_ दस्तावेज	सत्यापित (√)	खादी ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारी का नाम और पदनाम	हस्ताक्षर तारीख	टिप्पणी
सभी संलग्नकों सहित पूरी तरह र मरा गया प्राप्त आवेदन प्ररुप	ते .			
केंद्रीय खादी चिह्न समिति (सीकेएमसी) को प्रस्ताव की सिफारिश				
सीकेएमसी का अनुमोदन				
जारी किए जाने वाला ⁄निरस्त के जाने वाला खादी चिह्न	R			
खादी चिह्न टैग तथा लेबल को ज करने की तिथि	सि			
खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणन की प्रति				4
		अभिस्वीकृति रसीद		
गविदन संख्या				
शे		से तारीख	188 m (S)	को आवेदन पत्र
ाप्त किया।				

प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए 'खादी चिह्न' रजिस्ट्रीकरण प्ररुप

खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(पश्चिम), मुंबई, पिन-400056, महाराष्ट्र, भारत. वेबसाइट : www.kvic.org.in

. नाम - संस्था/संगठन/व्यक्ति क रिजस्ट्रीकृत पता दूरमाय/प 3. पत्राचार का पता (यदि उपरोक्त से अलग है	इक्स					
दूरमाय / . खादी प्रमाण पत्र सं. प्रमाण पत्र जारी करने वं		खादी प्रमाणपत्र वै	च तिथि		क्रांत सक्तवा अप क्रो अनेवीन आवेग	et stir el
.क) संस्था/संगठन का प्रकार सोसाइटी (एसमारए वे जंतर्ग सहकारी समिति शैक्षिक संस्थान अन्य का उल्लेख करें	न्यास व) पंचायती	टिक सगाएँ) राज संस्थान सरकारी निकाय		रजिस्ट्रीकरण का स प्रमाणपत्र की तारी		田 田 田
खादी गतिविधियों का विक उत्पादन विक्री वार्षिक उत्पादन (वार्षिक बिक्री (वार्षिक बिक्री (वार्षिक बिक्री (वार्षिक बिक्री (वार्षिक विक्री (वार्ष्ण विक्री विक्री विक्री (वार्ष्ण विक्री विक्री विक्री विक्री (वार्ष्ण विक्री	तिर्यात 🗌 अन्य ठ. लाख में)		कि की डुर अ	गदन केंद्रों की संख्या ही केंद्रों की संख्या तेनों की संख्या करों की संख्या न्य कारीगरों की संख्या न्य कर्मचारिवृन्द की	T	
7. खादी और खादी जपादी			2	रेशमी		ऊ नी
प्रवर्ग	फुटक र	योक	फुटकर	थोक	पुटकर	थोक
गजाना (मीटर)						
उपयोग हेतु तैयार(संब्या)			4.			
 खादी चिह्ने के आवेद का विवरण 	न के लिए भुगता	न डिमांड ड्राफ्ट वैंक	सं रा	য়ি ড	तारीख	स्त्र दि सा च व

 जब-जब संस्था/संगठन/व्यक्ति इनमें से कुछ अद्यतन करता है, तो संस्था/संगठन/व्यक्ति उसे तुरंत खादी आर ग्रामाद्याग आयाग क व्याप्त में लाये।

रजिस्ट्रीकरण प्ररुप के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

संलपन किए जाने वाले दस्तावेज	क करें संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	टिक करे
समी उत्पादन केन्द्रों और बिक्री केन्द्रों के पते और संपर्क सं. (उपाबंध-1 के अनुसार)	संगम ज्ञापन/उपनियमों की सत्यापित प्रति (व्यक्ति के लिये लागू नहीं)	
सभी विनिर्मित खादी उत्पादों की सूची तथा जिन पर खादी चिह्न लेबल लगाने का इच्छुक हैं (उपावंध-2 के फॉर्मेंट के अनुसार)	प्रबंध समिति के सदस्यों /न्यासियों की प्रमाणित सूची, फोटो और पहचान पत्र (पैनकार्ड/ ड्रायविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/पासपोर्ट की प्रति) सहित	Med III
ब्योरें सहित कारीगरों की सूची (उपाबंध-3 के फॉर्मेंट के अनुसार)	पिछले 3 वर्ष का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाम हानि लेखा की प्रति	
खादी प्रमाणपत्र की प्रति (विद्यमान खादी संस्थाओं को लागू)	रनिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
खादी चिह्न के लिये खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास जाने हेतु प्रवन्य समिति/प्रबन्यन का प्रस्ताव (उपावंध-4 के फॉर्मेंट के अनुसार)	राज्य स्टांप अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपय-पत्र (उपाबंध-5 के अनुसार)	171

निबंधन और शतें :

खादी विह्न को जारी करना एवं उसका रिजस्ट्रीकरण, खादी चिह्न विनियम, 2013 के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

2. आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हैं वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय-समय पर यथा उपबंधित खादी चिह्न का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

प्रमाणित खादी संस्थानों को खादी की जांच, सत्यापन एवं परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

'खादी चिह्न' रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के प्रेषण मात्र से ही आवेदक 'खादी चिह्न' का उपयोग करने का हकदार नहीं हो जाता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी) मोहर और पदनाम

सभी उत्पादन केंद्रों के पते और संपर्क

उत्पादन केंद्र 1	उत्पादन केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का∤ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावितः (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः
उत्पादन केंद्र 3	उत्पादन केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

• यदिं चार से अधिक उत्पादन केंद्र है तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।

सभी विकी केंद्रों के पते

बेकी केंद्र 1	बिक्री केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरमाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः
बिक्री केंद्र 3	बिक्री केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का /पट्टे पर /किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान /प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

यदि चार से अधिक बिक्री केंद्र हैं तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।

खादी चिह्न का लेबल लगाये जाने वाले विनिर्मित सभी खादी उत्पादों की सूची

उत्पाद	मात्रा	उत्पाद	मात्रा	नित मात्रा का उल्लेख करें उत्पाद	Trees
राष्ट्रीय ध्वज		सलवार		खेस	मात्रा
कमीज		लेडीज़ टॉप		मैट्रेस	
कुर्ता		मैक्सी		गलीचा	
पायजामा	1571211	स्कर्ट		बेडशीट	-
पतलून		नाईट गाऊन		रजाई मर्दे	
गाकेट		पेटीकोट		गमछा	-
ब नियान		लहंगा		तौलिया	
गर्किन		चोली/कोटी		मसंद	-
ोरवानी े		कुशन कवर		कंबल	_
भवकन		तकिया कवर		आसन	
ांतःवस्त्र -		दरी		घोती	-
गी		साड़ी		entra des	-
ट पीस.		शर्ट पीस		चद्दर	
ाल ।		स्टोल		दस्ताना ्र	
नरी		अंगवस्त्र		एप्रॉन	150
\$	1	कार्फ		मफलर	
केट	1	ोपी		बैग∕पर्स	
र्डेज (मीट्र)	2	गन (मीटर)		यार्न बंडल (मीटर)	-
अन्य मद				11 400 (4ICC)	4:
TERM TO ALL	1. 6				
			-		

टिप्पणी:- समाल, डस्टर क्लॉब, पोछा, नाड़ा जैसी मदें और ऐसी अन्य छोटी मदों पर हैंग टैग या लेबल नहीं लगाया जाएगा। <u>•</u>

and the following	कारीगर		(जार्वे सा	कार्य का स्वरुप एमू हो वहीं टिक	कार्य का स्वरुप (जहाँ सागू हो वहाँ टिक करें)	(Rêm		अति माह	वैक/पोस्ट
בונו אל אנונו	संख्या		कित्तान		बुनकर	(पुरुष/स्बी)	Pills.	आमदनी	खाता नंबर
	1		афада	क्राएसही क	arigens ama			THE STATE OF THE S	
47.4									
								-0	
	1 A 1 A 2	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE							
\$11.00 m	100	The second second							
								-	
	,								
	35								
	1,614			h					
4.00							25		
	9								

प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिये अलग से पन्ना लगाएं।

प्रति माह औसत आमदनी = (कुल आमदनी/कार्य किए गये महीनों की संख्या)

खादी चिह्न के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संपर्क करने के लिये प्रबंध समिति/प्रबंधन का नमूना प्रस्ताव (व्यक्ति के लिये लागू नहीं)

संस्था के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए

प्रबंध समिति की बैठव	संख्याः			तारीख		-
कार्यसूची मद संख्याः						
विषयः खादी चिह्न हे	तु आवेदन					
341						
		7	संकल्प			
संकल्प किया जाता है खादी चिह्न के आयोग द्वारा विहित	लिये आवेदन	करने हेतु सचिव	सर्वसम्मति	से यह निणय	ालया गया खादी और	्रामोद्योग ग्रामोद्योग
प्रमाणित सत्य प्रति	VIII SIIAS VIII					
हस्ता/-		हस्ता/-				
अध्यक्ष/सभापति	*	सचिव			191	
मुहर		*.				

स्व घोषणा के लिए फॉर्मेट

हाथ से बुना, हाथ से काता, खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबल तथा टैग लगाने के लिए शपथ पत्र

(राज्य स्टॉम्प अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर दिया जाने वाला शपथ पत्र)

दिनांकः.. सेवा में

> केन्द्रीय खादी चिह्न समिति खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामोद्योग, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.) मुम्बई-400056

महोदय.

मैं/हम एतद्बारा पुष्टि करता/करते/वचन देता हूँ/देते हैं कि..........(अधिनयम/विधान का नाम जिसके अंतर्गत संस्था पंजीकृत है) के अंतर्गत पंजीकृत...........(संस्था का नाम) खादी और खादी उत्पादों की बिक्की/व्यापार कर रहा है/रहे हैं तथा हमें संहिता के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमारे पास आयोग द्वारा जारी वैद्य खादी प्रमाण पत्र है। मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि

हमारी संस्था असली खादी वस्त्र तथा उत्पाद अर्थात् हाथ से काता, हाथ से बुना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में यथा परिमाषित प्राकृतिक रेशे का निर्माण करती है।

खादी चिह्न विनियम 2013.....से लागू है तथा अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था खादी या खादी उत्पादों की किसी रूप में या तरीके से खादी चिह्न प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बिकी या अन्य प्रकार से व्यापार नहीं करेगी।

उसी प्रकार किसी सूती वस्त्र की बिकी या व्यापार खादी चिह्न धारण करने वाले इसके बिना किसी रूप में या तरीके से अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा।

ये खादी चिह्न लेबल तथा टैग का प्रयोग मात्र असली सूती, ऊनी, रेशमी या इन खादी वस्त्रों यानि हाथ से काते, हाथ से बने मिश्रण में किया जाएगा।

मैं /हम विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मात्र असली खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेंबलों तथा टैगों के प्रयोग के लिए एक मात्र जिम्मेवार हूँगा /होंगे तथा इसका उल्लंघन होने पर हमारे /मेरे विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सही है तथा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके उल्लंघन होने पर मैं /हम ही जिम्मेवार हूँगा /होंगे जो मेरे /हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक हो सकती है।

अध्यक्ष/सभापति (मोहर सहित)

सचिव (मोहर सहित)

कोषाध्यक्ष (मोहर सहित)

प्ररूप-2

[विनियम 22 के उप विनियम (2) के खंड (ख) देखें]

'खादी चिह्न' रजिस्ट्रीकरण प्ररूप

खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(प.), मुंबई, पिन- 400 056, महाराष्ट्र, भारत वेबसाइट : www.kvic.org.in

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

विदन संख्या		आवेदन प्रा	प्ति की तारी	ख	R R 41 41 4. 4
ज्य/मण्डल कार्यालय का नाम					
नयुक्त किए गए प्रत्यायित अभिकरण माणित खादी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं) ार्य प्रक्रिया	ाकानाम				
दस्तावेज	सत्यापित (√)	खादी ग्रामोद्योग आयोग के पदाविकारी का नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख	टिप्पणी
सभी अनुलग्नकों सहित पूरी तरह से भरा गया प्राप्त आवेदन प्ररूप					
निरीक्षण हेतु समनुदेशित प्रत्यायित अभिकरण					- 11 - 10 - 11 - 11 - 10
प्रत्यायित अभिकरण से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति					
केन्द्रीय खादी चिह्न समिति (सीकेएमसी) को प्रस्ताव की सिफारिश					
सीकेएमसी का अनुमोदन					212
जारी किया जाने वाले /निरस्त किया जाने वाला खादी विहन					
खादी विह्न टैग तथा लेवल जारी करने की तिथि				i i i	
प्रावेदन संख्या		अभिस्वीकृति रसीद			
श्री		से तारींख	RR	मा या द	31.
को बैंक/शाखा	Davis	ड्राफ्ट संरु	1	के डि	मांड ड्राफ्ट द्वारा

प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए 'खादी चिह्न' रजिस्ट्रीकरण प्रखप खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(पश्चिम), मुंबई, पिन-400 056, महाराष्ट्र, भारत

वेबसाइट : www.kvic.org.in

		-								SIL	1,72	
1. नाम				173								
2- संस्था/संगठन/व्यक्ति	का											
रजिस्ट्रीकृत पता		950										
दूरमाव	′फैक्स											
3. पत्राचार का पता	-											
(यदि उपरोक्त से अलग	हा ता)		11									
दूरमाष्	फैक्स		11									
4.क) संस्था/संगठन/व्यक्ति	का प्रकार (जहाँ	लागू हो उ	उस पर टिव	क लगाएँ) ख.	रजिस्	ट्रीकरण का	विवरण				
सोसायटी (एसआरए व	अंतर्गत)	न्यास				रजिस्	ट्रीकरण संख	या				
सहकारी सोसायटी		पंचायती राज	न संस्थान			रजिस्	ट्रीकरण का	स्थान _				
कंपनी		रजिस्ट्रीकृत	सरकारी निव	स्रय		प्रमाण	पत्र की ता	रीख		TT	11	
स्व-सहायता समूह		शैक्षिक संस्थ	ान ।			प्राधिव	वृत व्यक्ति	का नाम	व पदनाः	F		Ħ
उद्यमी		अन्य, उल्लेर	ख करें			+			+		Н	
5. खादी की गतिविधियों का उत्पादन बिकी हिन वार्षिक उत्पादन (र वार्षिक बिकी (रु.	र्यात जिन्य 5. लाख में) लाख में)			日	बिक्री कत्ति बुनक अन्य	केंद्रों नों की रों की कारीग	रों की संख्य की संख्या संख्या संख्या ारों की संख्या की संख्या					
. खादी और खादी उत्पादों	की वार्षिक विव	ो की मात्रा										
श्रेणी		सूती			रेइ	तमी				ऊनी		
	फुटकर	धो	क	फुट	कर		थोक	Į,	हुटकर		थोः	र्ह
गर्डेज (मीटर)												
उपयोग हेतु तैयार (संख्या)												
 खादी चिह्न के आवेदन के का विवरण 	के लिए भुगवान	डिमांड इ बैंक _	ड्राफ्ट नं		राशि र	i			रीख			
 7. खादी चिह्न के आवेदन का विवरण जब-जब संस्थान/संगठन को सूचित करें। 		बैंक					गठन /व्यक्ति	शा	ব্রা	और द	क् <u>र</u> ीचेंह	131

3212 GI/2013-4

रजिस्ट्रीकरण प्ररूप के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

उपादख किए जाने वाले दस्तावेज	टिक करें उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	टिक करें
सभी उत्पादन केन्द्रों और बिक्री केन्द्रों के पते और संपर्क सं. (उपाबंध-1 के अनुसार)	संगम ज्ञापन/उपनियमौं की सत्यापित प्रति	100 9)(
सभी विनिर्मित खादी उत्पादों की सूची जिन पर खादी चिह्न लेबल लगाना है (उपाबंध-2 के फारमेट के अनुसार)	प्रबंध समिति/बोर्ड के सदस्यों/न्यासियों की प्रमाणित सूची, फोटो और पहचान पत्र (पैनकार्ड/ ड्रायविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/पासपोर्ट की प्रति) सहित	
ब्यौरे सहित कारीगरों की सूची (उपावंध-3 के फारमेट के अनुसार)	पिछले 3 वर्ष का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाम हानि खाते की प्रति	
खादी चिह्न के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सम्पर्क करने के लिए प्रबंध समिति/प्रबंधन का प्रस्ताव (उपाबंध-4 के फारमेट के अनुसार)	रिजस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति	
राज्य स्टाम्प अधिनियम (उपाबंध 5 के अनुसार) के अनुसार मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपय पत्र		

निबंधन और शर्ते :

- 1. खादी चिह्न का जारी होना खादी चिह्न विनियम, 2013 द्वारा शासित किया जाएगा।
- 2. आवेदक को खादी और ग्रामोबींग आयोग द्वारा समय-समय पर नियुक्त प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा खादी नमूनों की जाँच, सत्यापन और
- आवेदकों जो इन विनियमों के अधीन विहित सभी शर्तों का अनुपालन करता है, उन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय-समय पर यथा उपबोधत खादी चिह्न का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। नोटः प्रमाणित खादी संस्थाओं को खादी की जांच, सत्यापन एवं परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।

'खादी चिह्न' हेतु आवेदन पत्र के प्रेषण मात्र से ही आवेदनकर्ता 'खादी चिह्न' उपयोग करने का पात्र नहीं हो जाता है।

मैंने/हमने खादी चिह्न से संबंधित निबंधन और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम साथ ही आश्वस्त करता हूँ ∕करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी और मेरे ∕हमारे द्वारा अनुलग्नित दस्तावेज सत्य और सही हैं। मैं ∕हम आयोग द्वारा जारी मोर्गदर्शक सिखांत के अनुसार समय-समय पर बनाये गये नियन और विनियमों का पालन करने के लिये सहमत हूँ /हैं। मैं /हम ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करेंगे जो खादी की बिचारचारा का उल्लंधन कर सकता है। और, मैं /हम 'खादी चिह्न' का दुष्प्रयोग न करने का वधन देते हैं।

स्थान	
तारीख	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी) मोहर और पदनाम

सभी उत्पादन केंद्रों के पते और संपर्क क्रमांक

उत्पादन केंद्र 1	उत्पादन केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का ∕पट्टे पर ∕किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान ∕प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरमाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः
उत्पादन केंद्र 3	उत्पादन केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर	स्वाभित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरमाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

यदिं चार से अधिक उत्पादन केंद्र हैं तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।
 सभी बिकी केंद्रों का पता

बिक्री केंद्र 1	बिक्री केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का∕ पट्टे पर∕किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान∕प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः
बिक्री केंद्र 3	बिक्री केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

यदि चार से अधिक बिक्री केंद्र है तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।

खादी चिह्न का लेंबल लगाये जाने वाले विनिर्मित सभी खादी उत्पादों की सूची

उत्पाद	मात्रा	उत्पाद	मात्रा	उत्पाद	मात्रा	
राष्ट्रीय ध्वज		सलवार		खेस		
कमीज		लेडीज़ टॉप		मैद्रेस		
कुर्ता		मैक्सी		गलीचा		
पायजामा		स्कर्ट		बेडशीट		
पतलून		नाईट गाऊन	नाईट गाऊन रजाः			
जाकेट		पेटीकोट र		गमछा		
बनियान		लहंगा		तौलिया		
जर्किन		चोली/कोटी		मसंद		
शेरवानी		कुशन कवर		कंबल		
अवकन		तकिया कवर		आसन		
अंतःवस्त्र		दरी		धोती		
लुंगी		साड़ी		ब्लाउज पीस		
सूट पीस		शर्ट पीस		चद्दर		
शाल		स्टोल		दस्ताना		
चुनरी		अंगवस्त्र		एप्रॅन		
टाई		स्कार्फ		मफलर		
जाकेट		टोपी		वैग / पर्स		
यार्डेज (मीटर)		थान (मीटर)		यार्न बंडल (मीटर)		
कोई अन्य मद	KETTET					
				55		

टिप्पणी:- स्त्रमाल, डस्टर क्लॉब, पोछा, नाड़ा जैसी मदें और ऐसी अन्य छौटी मदों पर टैंग और लैंवल नहीं लगाया अस्या।

उपाबंध-3 और सहित कारीगरों की सूची

उत्पादन केंद्र का नाम :

	कारीगर		(जहाँ स	कार्य का स्वरूप IIमू हो वहीं टिक	कार्य का स्वरुप (जहाँ लागू हो वहीं टिक करें)		आव	प्रति मास	कैंक/पोस्ट
कारीगर का नाम	पास बुक	पता	कितान	1	बुनकर	(पुरुष/स्त्री)		आमदनी	खाता नंबर
	785		מנחמשע משמשען		वद्तवभव व	क्रमध			
			-						
			1		+				
					+				
			-		-				
					1				
					1				
					1				

प्रत्येक अत्पादन केंद्र के लिये अलग से पन्ना लगाए।

प्रति मास औसत आमदनी = (कुल आमदनी/कार्य किए गये महीनों की संख्या)

खादी चिह्न के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संपर्क करने के लिये संस्था/संगठन/व्यक्ति का नमूना प्रस्ताव

संस्था/संगठन/व्यक्ति के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए

बोर्ड /प्रबंध समिति की बैठक संख्याः	तारीख
कार्यसूची मद संख्याः	
विषयः खादी चिह्न के लिए आवेदन पत्र	
. संकल्प	
संकल्प किया जाता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा के लिये आवेदन करने हेतु और सर्वसम्मति र , सचिव	ते यह भी निर्णय लिया गया कि श्री
ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विहित सभी आवश्यक औपचारिकत जाता है।	ाओं का अनुपालन करने के लिये प्राधिकृत किया
प्रमाणित सत्य प्रति भवदीय,	
कृते (सदस्य का नाम) 1— प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नामोदि्दष्ट निदेशक/सभापति/स्वामी/अध्यक्ष का नाम)	
2— प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नामोद्दिष्ट सचिव/कोषाच्यक्ष/उप सभापति/उपाध्यक्ष का ना	म)
रबड़ की मोहर स्थान:-	

स्व घोषणा के लिए फॉर्मेट

हाथ से बुना, हाथ से काता, खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबल तथा टैग लगाने के लिए शपथ पत्र

(राज्य स्टॉम्प अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर दिया जाने वाला शपथ पत्र)

दिनांक:

सेवा में

केन्द्रीय खावी चिह्न समिति खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामोद्योग, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.) मुम्बई-400056

महोदय,

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं/वचन देता/देते हैं कि...........(अधिनियम/विधान का नाम जिसके अंतर्गत संस्था पंजीकृत है) के अंतर्गत पंजीकृत(संस्था का नाम) खादी और खादी उत्पादों की बिकी/व्यापार कर रहा है/रहे हैं तथा हमें संहिता के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा हमारे पास आयोग द्वारा जारी वैद्य खादी प्रमाण पत्र है। मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि

हमारी संस्था असली खादी वस्त्र तथा उत्पाद अर्थात् हाथ से काता, हाथ से बुना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में यथा परिभाषित प्रकृतिक रेशे का निर्माण करती है। खादी चिह्न विनियम 2013......से लागू है तथा अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था खादी या खादी उत्पादों की किसी रूप में या तरीके से खादी चिह्न प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बिकी या अन्य प्रकार से व्यापार नहीं करेंगी।

इसी प्रकार किसी सूती वस्त्र की बिक्री या व्यापार खादी चिह्न धारण करने वाले इसके बिना किसी रूप में या तरीके से अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा। ये खादी चिह्न लेबल तथा टैंग का प्रयोग मात्र असली सूती, ऊन, रेशमी या इन खादी वस्त्रों यानि हाथ से काते हाथ से बने

मिश्रण में किया जाएगा।

केवल मैं /हम विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मात्र असली खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबलों तथा टैगों के प्रयोग के लिए जिम्मेवार हूँगा/होंगे तथा इसका उल्लंघन होने पर हमारे/मेरे विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सही है तथा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और मैं इसके उल्लंघन होने पर मैं /हम ही जिम्मेवार हूँगा /होंगे जो मेरे /हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक हो सकती है।

भवदीय,

कृते (सदस्य का नाम)

1— प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नामोट्दिष्ट निदेशक/सभापति/स्वामी/अध्यक्ष का नाम)

2- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नामोद्दिष्ट् सचिव/कोषाध्यक्ष/उप सभापति/उपाध्यक्ष

रबड़ की मोहर

स्थान:-

प्ररूप-3 [विनियम 22 के उप विनियम (2) के खंड (ग) देखें]

'खादी चिह्न' नवीकरण प्ररूप

खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(प.), मुंबई, पिन- 400 056, महाराष्ट्र, भारत वेबसाइट : www.kvic.org.in

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

गवेदन संख्या गज्य/मण्डल कार्यालय का नाम नेयुक्त किए गए प्रत्यायित अभिकरण	न्य/मण्डल कार्यालय का नाम पुक्त किए गए प्रत्यायित अभिकरण का नाम (प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए लागू नहीं)							
जर्य प्रक्रिया								11
दस्तावेज	सत्यापित (४)	खादी ग्रामोद्योग आ पदाधिकारी व नाम और पदन	3	हस्ताक्षर	तारी	ख		टिप्पणी
समी अनुलग्नकों सहित पूरी तरह से भरा गया प्राप्त आवेदन प्ररूप								
निरीक्षण हेतु समनुदेशित प्रत्यायित अभिकरण (प्रमाणित खादी- संस्थाओं के लिए लागू नहीं)								
प्रत्यायत अभिकरण से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति (प्रमाणित खादी संस्थाओं के लिए लागू नहीं)			10					
आंवितक खारी चिहन समिति (जेडकेरमसी) को प्रस्ताव की सिफारिश								
जेडकेएमसी का अनुमोदन जारी/नवीनीकरण/ निरस्त किया जाने वाला खायी चिहन								
खादी चिह्न टेग और तेबल गाँगे करने की तारीख				-	ŀ	-	+	
		अभिस्वीकृति रसी	4		Ш			
दन संख्या			.	तारीख	R R	मा	मा व	*
क/शाखाहिमांड ड्राफ्ट सं दन शुल्क सहित सभी संलग्नकों के साथ		.		_ के डिमॉर	ड्राफ्ट	द्वारा		

'खादी चिह्न' नवीकरण प्ररूप खादी और ग्रामोद्योग आयोग,'ग्रामोदय', 3, इर्ला रोड, विले पार्ले(पश्चिम), मुंबई, पिन-४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत

2- संस्था/संगठन/व्यक्ति	CELULIA III	4-11-1					
	त का						
रजिस्ट्रीकृत पता							
दूरम	ाष /फैक्स						
3. पत्राचार का पता				111			
(यदि उपरोक्त से आ	लग हो तो)						
दूरम	ाष ∕फैक्स		111				
4. क्या विधिमान्य खादी प्र	माणपत्र प्राप्त						
है? हां 🗆 नही 🗖		बादी प्रमाण पत्र संस	© या	TI		EFF FRENCH SPG	14 47
ब्यादी प्रमाण पत्र वैद्य तिथि	9	ायम प्रमाणपत्र जारी व	हरने की तारीख			बन्धे मानेबोग आयो	न 🗌 सारी प्रामीदोग बोर्ट
सोसायटी (एसआरए के अ सहकारी सोसायटी कंपनी स्व-सहायता समूह व्यक्ति 6. खादी चिह्न विधिमान्य 7. खादी गतिविधियों का वि उत्पादन [] बिक्री [पंचायत रिजस्ट्रें शैक्षिक अन्य, ता समाप्ति की तार्र वरण ** (√) निर्यात अन्य	ती राज संस्थान विकृत सरकारी निकाय संस्थान उल्लेख करें		रिज रिज प्रमा प्राधि - जत्पादन वे बिक्री केंद्री कितानों वे	द्धितें की संख्य की संख्या	व्या स्यान रीख ित ति ति का नाम व पदनाम _	मा मा व व
वार्षिक उत्पादन वार्षिक बिक्री (रु	C 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				गरों की संख	या	
वार्षिक बिक्री (रु	. लाख में)			अन्य कारी	गरों की संख् ह की संख्या	या	
वार्षिक बिक्री (रु 8. खादी और खादी उत्पादो	. लाख में) की वार्षिक बिक्री			अन्य कारी अन्य स्टाप			
वार्षिक बिक्री (रु	. लाख में)			अन्य कारी			ज्ती
वार्षिक बिक्री (रु अ. खादी और खादी उत्पादो	. लाख में) की वार्षिक बिक्री		फुटकर	अन्य कारी अन्य स्टाप रेशमी			र्जी योक
वार्षिक बिक्री (रु 3. खादी और खादी उत्पाद त्रेणी	. लाख में) की वार्षिक बिकी सूर	ती	फुटकर	अन्य कारी अन्य स्टाप रेशमी	ह की संख्या	9	
वार्षिक बिक्री (रु 8. खादी और खादी उत्पादो	. लाख में) की वार्षिक बिकी सूर	ती	फुटकर	अन्य कारी अन्य स्टाप रेशमी	ह की संख्या	9	

नवाकरण के लिए आवेदन की तारीख और समाप्त होने की तारीख के बीच की अविध छः माह से कम होनी चाहिए।
 जब-जब संस्थान/संगठन इनमें से किसी का अद्यतन करता है तो संस्थान/संगठन इसे तुरंत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सूचित करें।

3212 GI/2013-5

नवीकरण प्ररूप के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

टिक करें	संस्था जिसके पास खादी प्रमाण पत्र नहीं हैं उनके लिए उपाबद्ध किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज	टिक करें
	संगम ज्ञापन/उपनियमों की सत्यापित प्रति	
	पिछले 3 वर्ष का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाम हानि खाते की प्रति	
	प्रबंध समिति बोर्ड के सदस्यों /न्यासियों की प्रमाणित सूची, फोटो और पहचान पत्र (पैनकार्ड/ ड्रायविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/पासपोर्ट की प्रति) सहित	
	खादी चिह्न नवीकरण के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास जाने हेतु प्रबंधन समिति/बोर्ड का प्रस्ताव (उपाबंध-4 के फॉर्मेट के अनुसार)	
	अपेक्षित रकम का डिमांड ड्राफ्ट (प्रमाणित खादी संस्थाओं	
	टिक करें	संगम ज्ञापन/उपनियमों की सत्यापित प्रति पिछले 3 वर्ष का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाम हानि खाते की प्रति प्रबंध समिति बोर्ड के सदस्यों/न्यासियों की प्रमाणित सूची, फोटो और पहचान पत्र (पैनकार्ड/ ड्रायविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानमत्र/पासपोर्ट की प्रति) सहित खादी चिह्न नवीकरण के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास जाने हेतु प्रबंधन समिति/बोर्ड का प्रस्ताव (उपावंध-4 के फॉर्मेंट के अनुसार)

खादी चिह्न का नवीकरण, खादी चिह्न विनियम, 2013 द्वारा शासित किया जाएगा।

- 2. आवेदक को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय-समय पर नियुक्त प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा खादी नमूनों की जाँच, सत्यापन और परीक्षण कराना होगा।
- 3. आवेदक जो इन विनियमों के अधीन विहित सभी शर्तों का अनुपालन करते हैं, उन्हें समय-समय पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यथा उपबंधित खादी चिह्न का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।
 टिप्पण:- प्रमाणित खादी संस्थानों को छानबीन, सत्यापन और खादी नमूनों की प्रक्रिया से छूट प्राप्त है।

'खादी चिह्न' के लिए आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण मात्र से आवेदक 'खादी चिह्न' उपयोग करने का पात्र नहीं हो जाता है।

मैंने/हमने खादी चिह्न से संबंधित सभी निबंधन और शर्तों को अच्छ! तरह पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम साथ ही आश्वस्त करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी और मेरे/हमारे द्वारा अनुलग्नित दस्तावेज सत्य और सही है। मैं/हम आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार बनाये गये नियम और विनियमों का पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं। गैं/हम ऐसा कोई कार्य कभी नहीं कठँगा/करेंगे जो खादी की विचारधारा का उल्लंधन कर सकता है। और, मैं/हम 'खादी चिह्न' का दुध्ययोग न करने का बचन देता हूँ/देते हैं।

स्थान	-	H	-	-	-	-	-	-	
तारीख									

(प्राधिकृत इस्ताक्षरी) मोहर और पदनाम

सभी उत्पादन केंद्रों के पते और संपर्क क्रमांक

उत्पादन केंद्र 1	उत्पादन केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक V करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः
उत्पादन केंद्र 3	उत्पादन केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का /पट्टे पर /किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान /प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

यदि चार से अधिक उत्पादन केंद्र हैं तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।

सभी विकी केंद्रों का पता

विक्री केंद्र 1	बिक्री केंद्र 2
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/ पट्टे पर/किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का∕ पट्टे पर∕किराये पर
विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान∕प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरमाषः
फैक्सः	फैक्सः
बिक्री केंद्र 3	बिक्री केंद्र 4
स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का∕ पट्टे पर∕किराये पर	स्वामित्व की स्थितिः स्वयं का/पट्टे पर/किराये पर
विद्यमान∕प्रस्तावित (टिक √ करें)	विद्यमान/प्रस्तावित (टिक √ करें)
पताः	पताः
दूरभाषः	दूरभाषः
फैक्सः	फैक्सः

यदि चार से अधिक बिक्री केंद्र हैं तो कृपया अलग से पन्ना लगाएं।

खादी चिह्न का लेबल लगाये जाने वाले विनिर्मित सभी खादी उत्पादों की सूची

उत्पाद	मात्रा उत्पा			त मात्रा का उल्लेख करें	
राष्ट्रीय ध्वज	सलव	DIED I	त्रा	उत्पाद	मात्रा
कमीज		ग टॉप	+	खेस	
कुर्ता	मैक्सी		_	मैट्रेस	
पायजामा	स्कर्ट			गलीचा	
पतलून				बेडशीट	Na EVIE
जाकेट	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	गाऊन		रजाई मर्दे	
जनियान -	पेटीको	25年 日 日 日 日 日 日 日		गमछा	
गर्किन	लहंगा			तौलिया	
一种的一种产品的工作	चोली/	कोटी		मसंद	
ोरवानी	कुशन	कवर	7	कंबल	
विकर्न	तकिया	कवर	1	आसन	
तुः वस्त्र	दरी	State of the	-	भेत <u>ी</u>	
1	साड़ी		100	लाउज पीस	
ट पीस	शर्ट पीर	9		ादुदर । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
d	स्टोल			स्ताना	
18	अंगवस्त्र		540	प्रेन	
	स्कार्फ				
केंद्र	टोपी		U 1000	फलर	16.54
र्ज (मीटर)	थान (मी			ग⁄पर्स	
अन्य मद	J (4)	-9	या	र्न बंडल (मीटर)	
	A STATE OF THE STA	3419-3 (44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44			
					r e d'in
	一种产生	的 多数 提出 文化	-		
	Company of the second		1		

टेपाणी:- समाल, डस्टर क्लॉब, पोछा, नाड़ा जैसी मर्दे और ऐसी अन्य छोटी मर्दों पर टैग या लेबल नहीं लगाया जाएगा।

उपाबंध-3

उत्पादन केंद्र का नाम :

HUI

ब्यौरे सहित कारीगरों की सूची

पास बुक पता स्वित्त प्राप्त स्वत्य स	बैंक/योस्ट ऑफिस का	खाता नंबर															
पता (पुरुष रखी)	प्रति मास औसत	आमदनी	7														
HEE BALLANDE (ACADA)	आय					1						1	1				
मंद्रा क्रिकान	लिंग (पुरुष /स्त्री)	2										1	1				
पदा		Ē				T	1	1	T	1	1	1	1	1	1	+	
पता										1	1	1	1	1	1	+	
पंदा		-	Ц	1	1											1	
		464016														T	

प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिये अलग से पन्ना लगाए।

प्रति मास औसत आमदनी = (कुल आमदनी/कार्य किए गये महीनों की संख्या)

उपाबंध-4

खादी चिह्न नवीकरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संपर्क करने के लिये संस्था/संगठन/व्यक्ति का नमूना प्रस्ताव

संस्था/संगठन/व्यक्ति के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए

बोर्ड/प्रबंध समिति की बैठक	संख्याः	तारींख
कार्यसूची मद संख्याः		
विषयः खादी चिह्न के लिए उ	गावेदन पत्र	
	संक	ज्ल प
संकल्प किया जाता है कि ना		
विह्न के लिये आवेदन क	दा आर ग्रामोद्योग आय जरने हेतु और सर्वस , सचिव	ोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार खार्द म्मिति से यह भी निर्णय लिया गया कि श्री
ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विहित । जाता है।	सभी आवश्यक औपचारि	को इस संबंध में खादी और किताओं का अनुपालन करने के लिये प्राधिकृत किय
प्रमाणित सत्य प्रति		
इस्ता0		
अध्यक्ष/समापति	इस्ता०	हस्ता0
मोहर	सचिव	निदेशक/सभापति/स्वामी/अध्यक्ष

उपाबंघ-5

स्व घोषणा के लिए फॉर्मेट

हाथ से बुना, हाथ से काता, खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबल तथा टैग लगाने के लिए शपथ पत्र

(राज्य स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दिया गया शपथ पत्र)

सेवा में

दिनांकः....

केन्द्रीय खादी चिह्न समिति खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामोद्योग, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.) मुम्बई-400056

महोदय,

हमारी संस्था असली खादी बस्त्र तथा उत्पाद अर्थात् हाथ से काता, हाथ से बुना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथिनियम में यथा परिभाषित प्राकृतिक रेशे का निर्माण करती है। खादी विहन विनियम 2013......से लागू है तथा अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था खादी या खादी उत्पादों की किसी रूप में या तरीके से खादी चिहन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बिक्की या अन्य प्रकार से व्यापार नहीं

इसी प्रकार किसी सूती वस्त्र की बिकी या व्यापार खादी चिह्न धारण करने वाले इसके बिना किसी रूप में या तरीके से अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा। ये खादी चिह्न तैवल तथा टैंग का प्रयोग मात्र असली सूती, ऊन, रेशमी या इन खादी वस्त्रों यानि हाथ से काते हाथ से बने मिश्रण में किया जाएगा।

केवल मैं /हम विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मात्र असली खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबलों तथा टैगों के प्रयोग के लिए जिम्मेवार हूँगा /होंगे तथा इसका उल्लंघन होने पर हमारे /मेरे विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सही है तथा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और मैं इसके उल्लंघन होने पर मैं /हम ही जिम्मेवार हूँगा /होंगे जो मेरे /हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक हो सकती है।

भवदीय,

कृते (सदस्य का नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नामोद्दिष्ट निदेशक/सभापति/स्वामी/अध्यक्ष का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नामोदिदष्ट सचिव/कोषाच्यक्ष/उप सभापति/उपाध्यक्ष का नाम) रबड़ की मोहर स्थान

प्ररुप-4 पावती रसीद (विनियम 26 का उप विनियम (2) देखें)

श्री/श्रीमती	क्रम संख्याः तारीखः	
निवासी		
		से
में एक शिकायत प्राप्त हुई।		के बारे
बिल / कैश मेमो संख्याः खादी मार्क टैग संख्याः संलग्नः बिल / कैश मेमो की प्रति		
तरा न विरायकरा ममा का प्रात	 Упі	 धेकृत हस्ताक्षरी

| फा. सं. ४ (०४)/2011-कवीआई| सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Khadi and Village Industries Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2013

GS.R. 498(E). —In exercise of the powers conferred by Section 27 read with clause (k) of sub-Section (2) of Section 15 of the Khadi and Village Industries Commission, Act, 1956, (61 of 1956), the Khadi and Village Industries Commission, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

Chapter I

Preliminary

- Short title, application and commencement.- (1) These regulations may be called the Khadi Mark Regulations, 2013.
 - (2) They shall come into force on the 2nd day of October, 2013.
 - (3) These regulations shall apply to persons who are engaged in production, sale or trading of khadi and khadi products or who are desirous of producing, selling or trading in khadi and khadi products, and to certified khadi institutions, who hold a valid certificate issued by the Commission under clause (k) of sub-section (2) of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with sub-regulation (2) of regulation 24 of Khadi and Village Industries Commission Regulations, 2007.
- 2. Definitions .- In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "accredited agency" means an agency engaged by the Commission under Chapter V of these regulations;
 - (b) "Act" means the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);
 - (c) "certified khadi institution" means a khadi institution which is enlisted with the Commission or a Khadi and Village Industries Board for financial and technical support and is issued a valid khadi certificate under a Code for such certification issued by the

Commission under clause (k) of sub-section (2) of section 15 of the Act read with sub-regulation (1) of regulation 24 of Khadi and Village Industries Commission Regulations, 2007;

- (d) "Commission" means the Khadi and Village Industries Commission constituted under section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956);
- (e) "Committee" means the Central Khadi Mark Committee or the Zonal Khadi Mark Committee, as the case may be, constituted under sub-regulations (1) and (2) of regulation 9 respectively;
- (f) "Form" means a form specified in the Schedule to these regulations;
- (g) "khadi" shall have the meaning assigned to it in clause (d) of section 2 of the Act;
- (h) "Khadi Mark" means a mark as specified by the Central Khadi Mark Committee and registered under regulation 22 authenticating the genuineness of Khadi to be used by a person or certified khadi institution on every item of khadi and khadi products;
- (i) "khadi product" means any product made from or using khadi;
- (j) "Khadi and Village Industries Board" means a Khadi and Village Industries Board established under a law for the time being in force;
- (k) "marketing agency" includes an organization with which the Commission has forged links for marketing products of khadi and village industries as provided in clause (d) of sub section (2) of section 15 of the Act;
- (l) "person" means any person engaged in production or sale or trading or combination of these in khadi and khadi products and includes –
 - (i) an individual;
 - (ii) a Hindu undivided family;
 - (iii) a company;
 - (iv) a firm;
 - (v) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not;
 - (vi) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding sub-clauses; and
 - (vii) any agency, office or branch owned or controlled by such

- (m) "rules" means the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 made under section 26 of the Act;
- (n) "s-twist yarn" or "ulta bat yarn" means a yarn which when held in vertical position, the fibres inclined to the axis of the yarn conform in the direction by slope to the central portion of the letter "S", which is a characteristic feature of hand spun yarn.

Chapter II

Guidelines for using Khadi Mark

- 3. General prohibition in dealing in khadi without Khadi Mark.- No textile shall be sold or otherwise traded by any person or certified khadi institution as khadi or khadi products in any form or manner without it bearing a Khadi Mark tag or label issued by the Committee under these regulations.
- 4. Obligation to use Khadi Mark.- Every person or certified khadi institution engaged in the business of sale or trade as khadi or khadi products shall affix on such products a Khadi Mark tag or label issued under these regulations.
- 5. Obligations of disclosures of persons or certified khadi institutions to public. Every person or certified khadi institution engaged in the business of sale of products as khadi or khadi products shall display count of yarn, variety indicating whether it is cotton, wool, silk or a combination of them, name of the producing institution, year and place of production and such other information on the products as may be necessary to harness its unique selling proposition and also keep the record of the physical construction details of ends per inch, picks per inch and width and inform public on demand.
- 6. General obligation.— (1) Every person or certified khadi institution, having Khadi Mark registration, shall attach Khadi Mark tag or label or both as may be decided by the Committee from time to time on every piece of khadi and khadi product.
 - (2) Every person or certified khadi institution producing khadi shall maintain a register of artisans which shall be made available for

inspection by the Commission or the Committee or any other agency authorised by the Commission, as the case may be.

- (3) Every person or certified khadi institution producing khadi shall maintain raw materials procurement register indicating source and quantity of raw materials procured and issued to artisans, conversion register indicating raw materials consumed and finished goods produced and goods dispatch register.
- (4) Every person or certified khadi institution shall submit to the Commission location-wise quarterly returns indicating closing stock of raw material and finished goods in physical term through the officers of the concerned State or the Divisional offices of the Commission, as the case may be, who may record their observations on the same while countersigning such returns.
- (5) The person or certified khadi institution producing khadi which is found to be not properly maintaining the stock registers with the stock that is actually found in that person or certified khadi institution shall be responsible to provide explanation to the Commission for such discrepancy and be liable for suspension or cancellation of its right to use Khadi Mark.
- (6)The Commission may require the person or certified khadi institution producing khadi to maintain such other records as may be required for the purpose of implementation of these regulations and the person or certified khadi institution shall be liable to comply with such directions as may be given by the Commission from time to time.

Chapter III

General obligations of persons or certified khadi institutions dealing in

7. Prohibition on the use of electricity unless expressly provided.

- (1) Save as otherwise provided under these regulations, the use of electricity, directly or indirectly, shall be prohibited for the following purposes, mainly:-
 - plying a traditional charkha (single spindle) or a multi spindle charkha or a reeling basin to spin or reel cotton or wool or silk, either singly or in appropriate blends;

- (b) plying of a traditional loom or an improved loom for weaving cloth using hand spun or hand-reeled yarn (cotton or wool or silk, either singly or in appropriate blends) both in warp and weft.
- (2) S-twist or ulta bat yarn by hand spinning alone shall be used for khadi production.
- 8. Pre-condition for user of Khadi Mark.-(1) Any person or certified khadi institution desirous of selling khadi shall produce khadi through hand spinning and hand weaving process by using natural fibre as defined under the Act or purchase khadi from a person or certified khadi institution having a valid Khadi Mark issued under these regulations.
 - (2) Any person or certified khadi institution engaged in production and sale of khadi shall have the production and sales infrastructure and artisans for production of khadi, as may be determined by the Commission.
- (3) Any person or certified khadi institution engaged in trading of khadi or khadi products shall procure khadi and khadi products from a person or certified khadi institution having a valid Khadi Mark registration issued under these regulations and shall declare and display the source of procurement of such khadi or khadi products.
- (4) Any person or certified khadi institution desirous of obtaining Khadi Mark registration shall follow the procedure under Regulation 22.
- (5) Any person or certified khadi institution which applied for obtaining or renewal of Khadi Mark registration shall subject itself to tests as specified under these regulations.

Chapter IV

Constitution of Committees and its functions

 Constitution of Central Khadi Mark Committee and Zonal Khadi Mark Committees.-(1) The Commission shall constitute a Central Khadi Mark Committee for the purpose of issuance of Khadi Mark registration ensuring genuineness of khadi and khadi products for the purposes of performing the functions specified in sub-regulation (1) of regulation 11.

- (2) The Commission shall constitute the Zonal Khadi Mark Committee for each zone, specified in the Act and rules made there-under, for the purposes of performing the functions specified in sub-regulation (2) of regulation 11.
- 10. Composition of Central Khadi Mark Committee and Zonal Khadi Mark Committees.- (1) The Central Khadi Mark Committee shall consist of a Chairperson and the following members, namely:-
 - (a) a professional expert, having at least fifteen years of experience in the field of khadi to be appointed by the Commission - Chairperson;
 - (b) Financial Advisor of the Commission or his nominee member ex officio;
 - (c) a representative of Chairman, State Bank of India member ex officio;
 - (d) Director in charge of legal affairs in the Commission-member ex officio;
 - (e) Director in charge of the marketing member ex officio;
 - (f) Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization or his representative not below the rank of Deputy Director - member ex officio;
 - (g) Director General, Bureau of Indian Standards or his representative not below the rank of Director - member ex officio;
 - (h) Director General, Quality Assurance of Directorate General of Supplies and Disposals or his representative not below the rank of Director – member ex officio;
 - (i) Director, National Board for Quality Promotion or his representative not below the rank of Deputy Director – member ex officio;

- one expert in textile technology or engineering from a reputed institute to be nominated by the Commission- member;
- (k) one representative from government user organizationsmembers ex officio;
- Director in charge of the Central Certification Committee of the Commission – member-convener ex officio.
- (2) The Zonal Khadi Mark Committee shall consist of the following Chairperson and members, namely:-
 - (a) Zonal Member of the Commission Chairperson ex officio;
 - (b) Director in charge of three States or Divisional offices of the Commission of the zone on rotation – members ex officio;
 - (c) Chief Executive Officer or Managing Director or Secretary or Member-Secretary or Executive officer in charge of three States or Union Territory Khadi and Village Industries Boards of the zone on rotation + members ex officio;
 - one representative each from three institutions of the zone
 on rotation members;
 - (e) Deputy Chief Executive Officer or Director of the State Office of the Commission where the Zonal office is located -member-convener ex officio.
- 11. Functions of Committees.—(1)The Central Khadi Mark Committee shall perform the following functions, namely:-
 - (a) to issue, suspend, cancel and restore Khadi Mark registration;
 - (b) to lay down procedures and methods for testing of khadi and khadi products;

- to supervise and guide the Zonal Khadi Mark Committees and suggest the Commission on matters related to Khadi Mark;
- (d) to conduct audit or spot audit, inspection and the like related to Khadi Mark;
- (e) to receive any complaint filed by Institutions or certified khadi institution aggrieved by any of the activities or actions of accredited agencies or marketing agencies and take decision therein.
- (2) The Zonal Khadi Mark Committees shall perform the following functions, namely:-
 - (a) to renew Khadi Mark registration issued by the Central Khadi Mark Committee to a person or a certified khadi institution;
 - to conduct or manage the programme for Khadi Mark process verification and sample testing to be done by accredited agencies;
 - (c) to issue Khadi Mark tag or label to State and Divisional offices of the Commission or to the authorised agency appointed by the Commission for distribution;
 - (d) to conduct audit or spot audits and inspections in relation to the Khadi Mark registration;
 - (e) to perform such other function as may be assigned to it by the Central Khadi Mark Committee.

12. Term of office of Chairperson and members of Committees.-

- (1) The Chairperson and every member not being ex officio member of the Central Khadi Mark Committee or the Zonal Khadi Mark Committees, as the case may be, shall hold office for a period of five years from the date of his appointment, or till the pleasure of the Commission, whichever is earlier.
- (2) No act or proceeding of the Committee shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy therein or any defect in constitution thereof.

- 13. Disqualification of Chairperson and members of Committees.-A person shall be disqualified from being a member of any Committee under these regulations, if he-
 - (a) has been convicted of any offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
 - (b) has been adjudged an insolvent;
 - (c) has become a lunatic;
 - (d) has any financial interest in any subsisting contract made with or in any work being done by the Commission or either of the Khadi Mark Committees except as a shareholder (other than a Director) in a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

Provided that in case where he is a shareholder in such company, he shall disclose to the Commission the nature and extent of his shareholding;

- (e) has any interest in any business undertaking dealing with any activity related to khadi and khadi products or any other activity or industry specified or deemed to be specified in these Regulations;
- (f) in the opinion of the Commission, has failed or is unable or incompetent to carry out his duties or absents himself from three consecutive meetings of the Committee without the leave of the Committee.
- 14. Resignation of office by Chairperson and members of Committees. The Chairperson and every member not being ex-officion member of the Committee may resign from his office by giving a notice in writing to the Commission and on such resignation being accepted by the Commission, such members shall be deemed to have vacated his office.
- 15. Sitting fee payable to Chairperson and members.-(1) The Chairperson and other members of the Committees other than ex officio members shall be paid such sitting fee by the Commission as determined from time to time.
 - (2) The Chairperson and the members of the Committee shall be entitled to travelling and daily allowances for journeys performed for attending the meeting of the Committee and for the purpose of

discharging such duties as may be assigned to them by the Committee, in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government or the Commission, as the case may be, from time to time in this behalf:

- 16. Office of Committee. The office of the Central Khadi Mark Committee shall be at the headquarters of the Commission and the office of the Zonal Khadi Mark Committee shall be at the headquarters of the concerned zone.
- 17. Meetings of Committee.- (1) The Central Khadi Mark Committee shall meet at such intervals as may be decided by the Commission.
 - (2) The Zonal Khadi Mark Committee shall meet at such intervals as may be decided by the Commission.
 - (3) The Chairperson of the Committee shall decide the agenda of the meeting in advance.
 - (4) The Chairperson, and in his absence, a member chosen by the members present from among themselves shall preside over the meeting of the Committee.
 - (5) One-third of the members or five of the members, whichever is more, of each Committee shall constitute the quorum for the meeting.
- (6) If at any meeting of the Committee there is no quorum, the Chairperson at such meeting shall adjourn the meeting to another date and the business at such an adjourned meeting may be disposed of irrespective of the number of members attending the adjourned meeting:

Provided that the adjourned meeting shall be fixed for a date not less than seven days later and that all members are informed of the date, time and place of such adjourned meeting.

Chapter V

Process for certification

18. Engagement of accredited agencies.- (1) The Commission, in consultation with the Bureau of Indian Standards, the National Accreditation Board for Certification Bodiesand any other organisation approved by the Central Government for the purpose, may engage such accredited agencies, as the Commission may

consider necessary to undertake the verification and testing of khadi and khadi products.

- (2) The Commission shall, while screening and recommending any accredited agency for engagement, encourage the representation of at least one person from each organisation referred to in sub-regulation (1).
- (3) The accredited agency shall be paid such remuneration for its engagement as the Commission may decide from time to time.
- 19. Eligibility of accredited agencies.- Any person registered under the Societies Registration Act, 1860, the Indian Trusts Act, 1882, the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act, 2008, or under any State law for the time being in force, having at least five years' of experience in the khadi related activities including site verification, data collection and testing of samples, shall be eligible for engagement as accredited agencies under regulation 18.
- 20. Functions of accredited agencies.- The functions of the accredited agencies shall be -
 - to conduct on site verification at the premises of the person's production centers for ensuring hand spinning and hand weaving process;
 - to conduct or arrange testing of samples of khadi and khadi products produced or sold by the persons, through laboratories registered by the Central or State Governments, to ensure genuineness of khadi;
 - (c) issuance of a certificate in such form as provided for verification of khadi and khadi product; and
 - (d) any other incidental or ancillary function assigned to them by the Commission in consultation with the Central Khadi Mark Committee.
- 21. Right of the Commission for certification. Notwithstanding anything contained above, the Commission shall have the right to perform the functions enumerated in regulation 20 above, if the accredited agencies fail to perform their functions in the event of any deficiency in the functions of accredited agencies.

Chapter VI

Registration of Khadi Mark

- 22. Procedure for registration of Khadi Mark.-(1) Any person or certified khadi institution desirous of registering for Khadi Mark shall make an application in the form and manner as specified in subregulation (2).
 - (2) The application for Khadi Mark shall be made -
 - in Form I, in case of registration of certified khadi institution for Khadi Mark;
 - (b) in Form II, in case of registration of persons for Khadi Mark, along with the fee fixed by the Commission from time to time; and
 - (c) in Form III, in case of renewal of Khadi Mark for persons or certified khadi institutions.
- (3) The application received under this regulation shall be scrutinised by the Committee and thereafter shall undergo a verification process to ascertain hand spinning, hand weaving and use of natural fibre.
- (4) Every applicant shall undergo the process of screening, verification and testing of khadi samples by accredited agencies.
- (5) The applicant who complies with all the conditions laid down under these regulations shall be issued or renewed, as the case may be, Khadi Mark registration.
- (6) The person or certified khadi institution on registration of Khadi Mark shall be authorised to use Khadi Mark tag or label.
- (7) Registration of Khadi Mark shall be renewed every five years and application for renewal shall be submitted within a period of six months prior to its date of expiry in the Form specified in paragraph (c) of sub-regulation (2).
- (8) In case of breach or non compliance of any provisions of these regulations, the Central Khadi Mark Committee may, after giving a reasonable opportunity to the person or certified khadi institution to be heard, suspend or cancel the registration of the institution and thereby the right to use the Khadi Mark tag or label.

(9) Certified khadi institutions shall make an application for Khadi Mark in the form and manner as specified in sub-regulation (2). However, the certified khadi institutions are exempted from the certification process under Chapter V of these regulations.

Chapter VII

Suspension and cancellation of Khadi Mark Registration of persons and certified khadi institutions

23. Suspension of Khadi Mark registration.-

(1) In case of any violation of any provisions of these regulations by the person or certified khadi institutions, the Central Khadi Mark Committee after giving notice of not less than one month to the violator, shall suspend the right to use Khadi Mark granted to person or certified khadi institution in accordance with these regulations, for a period not exceeding six months:

Provided that the Committee may extend the period of suspension for a further period of six months and failure to rectify the violations shall lead to cancellation of the Khadi Mark.

- (2) The person or certified khadi institution whose right to use Khadi Mark tag or label has been suspended may file an application before the Chief Executive Officer of the Commission for revocation of the order of suspension on payment of a fee prescribed by the Commission from time to time.
- (3) The Chief Executive Officer of the Commission on receipt of an application shall proceed to hear the aggrieved person or certified khadi institution and pass such order as it may deem fit within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.
- (4) In case of two consecutive instances of violations by any person or certified khadi institution, its authorisation to use Khadi Mark tag or label shall be deemed to have been cancelled and in such case the Commission shall take into its custody all Khadi Mark tag or label issued to the person or certified khadi institution without refund of cost of tag or label.
- (5) The Central Khadi Mark Committee may cancel the Khadi Mark registration of a person or certified khadi institution which in its opinion has ceased functioning for a period of one financial year or

which is found to be defunct or has not applied for renewal of Khadi Mark.

24. Grievance redressal in case of cancellation of Khadi Mark.-

- (1) The person or certified khadi institution aggrieved by the decision of cancellation of a Khadi Mark by the Central Khadi Mark Committee may, within a period of thirty days from the date of such order, prefer an appeal before the Chairman of the Commission for revocation of suspension or, cancellation of the Khadi Mark, as the case may be.
- (2) The Chairman Khadi and Village Industries Commission, after giving a reasonable opportunity of hearing to the aggrieved person or certified khadi institution, shall, within a period of sixty days from the date of receipt of this appeal, dispose of the appeal.

Chapter VIII

Miscellaneous

- 25. Procuring of Khadi Mark tag and label.- (1) On registration of Khadi Mark every person or certified khadi institution shall have the right to use Khadi Mark tag or label on all khadi and khadi products.
 - (2) The person or certified khadi institution shall be supplied Khadi Mark tag or label from time to time by the Commission for the purpose of use of the tag or label at the price fixed by the Commission.
 - (3) Every person or certified khadi institution shall request respective State or Divisional or Zonal offices of the Commission, as the case may be, at least ninety days prior to the procurement of Khadi Mark tag or label and the concerned office of the Commission on receipt of such request from any person or certified khadi institution shall arrange to supply within a period of sixty days.
- 26. Complaints related to Khadi Mark.- (1) Any complaint relating to khadi and khadi products or misuse of Khadi Mark tag or label may, within fifteen days of its purchase, be reported to the personor certified khadi institution from where khadi and khadi products have been purchased.

- (2) The person or certified khadi institution shall record such complaint and provide an acknowledgment to the complainant in Form IV.
- (3) The person or certified khadi institution shall, within a period not exceeding ten working days from the date of receipt of the complaint, resolve the complaint.
- (4) If the complainant is not satisfied with the redressal of the complaint, he may lodge a formal complaint with the State or, the Divisional Director of the Commission, as the case may be.
- (5) The State or, the Divisional Director of the Commission, as the case may be, shall dispose off the complaint and take suitable action as early as possible but not more than thirty working days from the date of receipt of the complaint.
- 27. Complaints related to accredited agency and marketing agency.

 Any person or certified khadi institution aggrieved by any action or measure taken by the accredited agency and marketing agency may file a complaint within a period of thirty days, before the Central Khadi Mark Committee and the Central Khadi Mark Committee, after giving such person or certified khadi institution and the accredited
 - agency and marketing agency a reasonable opportunity of hearing, shall dispose off the complaint within a period of ninety days thereafter.
 - (2) Any person or certified khadi institution aggrieved by the order of the Central Khadi Mark Committee under sub-regulation (1), may, within a period of thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the Chief Executive Officer of the Commission.
 - (3) The Chief Executive Officer of the Commission shall, on receipt of an appeal under sub-regulation (2), after giving an opportunity of hearing to the parties pass such order within ninety days, as he may consider appropriate including discontinuation of the accredited agency or marketing agency for such period or periods or reduction of any amount payable to them, as he may deem fit.
- 28. Removal of ambiguity.- Notwithstanding anything contained above, Central Government may issue such instructions as may be necessary to implement the above regulations. If any difficulty or ambiguity arises in giving effect to these provisions, Central Government may issue appropriate directions.

Form I

(See clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 22)

'Khadi Mark' Registration Form for Certified Khadi Institutions
Khad and Village Industries Commission, "Gramoday", 3 Irla Road,
Ville Parle (West), Mumbai, PIN – 400056, Maharashtra, India.
Website: www.kvic.org.in

For Office Use Only

Institution Name					\mathbf{H}	
Application Number			Date of receipt of Application		T	
Name of the State/Division	on Office		 1.04	-	-	

Work Flow

Document	Verified (✓)	Name and Designation of KVIC Official	Sign	Date	Remark
Received completed application form with all enclosures					
Recommendation of the proposal to Central Khadi Mark Committee (CKMC)					
Approval of CKMC				1111111	
Khadi Mark to be issued / rejected					
Date of issue of Khadi Mark tags and labels					
Copy of Certification by KVIC					2 7 7 7 7 7 7

A	ckr	now	led	gem	ent	Slip
---	-----	-----	-----	-----	-----	------

Application Number	Н	1	I	1	I				
Received application from _	Ш				Ц	Щ.	on		

Sign of the KVIC official

'Khadi Mark' Registration Form for Certified Khadi Institutions

Khadi and Village Industries Commission, "Gramoday", 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai, PIN-400 056. Maharashtra, India. Website: www.kvic.org.in

Name Registered Address of the Institution/Organization Phone / Fax Mailing Address (If different from above) Phone / Fax							
Khadi Certificate number: Date of issue of certificate:		Khadi valid u	certificate upto :	ā	Assisted KVIC	KVIB	
S.A Type of Institution/Organi Society (under SRA) Cooperative Society Educational Institute Others specify	sation(Tick where applic Trust Panchayati Raj Institu Registered Govt Bod	ution	Place of Date of Name o	Details ation number f Registration certificate f the Authorization	D D M	n with	1
6. Details of Khadi Activities Production Sales Annual Production (Rs. in I	(*/) Export Others		Number of Proc Number of Sale Number of Spir Number of Wea Number of othe Number of othe	s outlets iners vers er artisans	es		
7. Annual Volume of Sales of K Categories	hadi and Khadi Pro Cotton	oducts	Silk		Wool	Н	
Retail	Wholesale	Retail	Wholesale	Retail	Who	lesale	
Yardage (meters)							
Ready to use (Nos)							
8. Particulars of Payment for Application of Khadi Mark	DD No	12 47 12	ount Rs	_ Dated [_ Branch			

Checklist of documents to be submitted with Registration Form

Document to be annexed	Tick Documents to be annexed Tick
Address and contact of all Production Centres and sales outlets (As per Annexure 1)	Attested copy of Memorandum of Association / Bye-laws (Not Applicable for person)
List of all khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark (As per format in Annexure 2)	Certified list of Managing Committee Members/ Trustees with Photos and ID proof (copy of PAN Card / Driving License/ Voters ID/ Passport)
List of Artisans with details (As per format in Annexure 3)	Copy of Audited balance sheet and Profit & Loss Account for last 3 years
Copy of Khadi certificate (applicable to the existing Khadi institutions)	Copy of registration certificate
Resolution of Managing Committee / Management approaching KVIC for Khadi Mark (As per format in Annexure 4)	Affidavit on Stamp paper of the value as per State Stamp Act) (as per Annexure 5)

Terms and Conditions:

Issue and renewal of the Khadi mark shall be governed under the Khadi Mark Regulations, 2013. The applicants who comply with all the conditions prescribed under these regulations shall be authorised to use Khadi Mark as provided by the KVIC from time to time.

Note: Certified Khadi Institutions need not undergo the process of screening, verification and testing of Khadi...

Mere submission of application for 'Khadi Mark' does not entitle the applicant to use 'Khadi Mark'

(Authorized Signatory) Seal with Designation

Address and contact of all Production Centres

Production Centre 1. Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:	Production Centre 2 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:
Phone: Fax:	Phone: •
Production Centre 3 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:	Production Centre 4 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:
Phone: Fax:	Phone: Fax:

Address of all Sales Outlets

Sales outlet 1 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:	Sales outlet 2 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:
Phone:	Phone:
Fax:	Fax:
Sales outlet 3 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:	Sales outlet 4 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:
Phone:	Phone:
Fax:	Fax:

^{&#}x27;If More than four sales outlets kindly attached a separate sheet

[&]quot;If More than four production centers kindly attached a separate sheet.

List of all Khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark

Product	Qty	Product	Qty	Product	1
National Flori			ary	Product	Qty
National Flag		Salwar		Khes	
Shirts		Ladies tops		Mattress	
Kurta		Maxi		Gallicha	
Pyjama		Skirt		Bed sheet	
Trouser		Night gown		Quilt items	
Jacket		Petticoat		Gamcha	
Banian		Lehnga		Towel	
Jerkin		Choli/Koti		Musand	
Sherwani		Cushion cover		Blanket	
Achkan		Pillow cover		Aasan	
Under garments		Darri		Dhoti	
Lungi		Saree		Blouse piece	
Suit piece		Shirt piece		Chadder	
Shawl		Stole		Gloves	
Chunri		Angvastra		Apron	
Tie		Scarf		Muffler	
Blazer		Caps		Bags/purse	
'ardage(metres)		Than (metres)	1	Yam Bundle (metres)	
ny other items					

Note: - Items such as hand kerchief, duster cloth, pocha, nada and any such other small items will not be affixed either with hang tag or sew-in labels.

	Artisan		Nai	erever	Nature of Work (Tick wherever applicable)	Cick ble)	-		Average	Bank / Post
Name of Artisan	Book	Address	Spinners	Suers	Wea	Weavers	Sex (M/F)	Age	per	Account no.
	Number		Traditional	NMC	Traditiona	Traditional Improved			month	

Sample Resolution of Managing Committee / Management approaching KVIC for Khadi Mark. (Not applicable for person)

To be submitted on the Institution's Letter head

Managing Committee meeting n	o: Dated:
Agenda Item No:	
Sub: Application for Khadi Mark	
	Resolution
anaminously decided to authori	hadi Mark as per the guidelines issued by KVIC and it has been to to to the spread by the KVIC in this regard.
Certified True Copy	
Sd/-	Sd/-
Chairman/President	Secretary
Seal	

Format for Self Declaration

Affidavit for using Khadi Mark labels and tags on hand-woven, hand-spun, Khadi vastra

Editor Control of the	on Stamp Paper of the value	as per State Stamp Act)
Date:		
To, Central Khadi Mark Committee		
Khadi and Village Industries Com Ministry of Micro, Small and Med Gramodaya, Irla Road, Vile Parle Mumbai – 400 056	ium Enterprises	
Dear Sir,		
"I/We hereby confirm/undertake under_ registered) has/have been selli certified by the Khadi and Villa Khadi Certificate issued by the C	(Name of Act/legislation ng/trading in Khadi and ge Industries Commission	(Name of the Institution) registered under which the institution is Khadi products and we have been under a Code and possess a valid lat
	ne khadi vastra and produc	ts i.e. hand spun, hand woven and of
Khadi Mark Regulations 2013 h person or institution shall sell manner without obtaining a Khad	or otherwise trade in Kna	and under the act, no di or Khadi products in any form or
Similarly, no textiles shall be so bearing a Khadi Mark.	ld or traded otherwise as K	hadi in any form or manner without it
These Khadi Mark labels and ta these Khadi vastra i.e. hand-spu	gs will only be used on ge in, hand-woven.	nuine cotton, wool, silk or mixture of
I/we will be solely responsible for vastra as specified under the R legal actions against us/me	or the usage of Khadi Mark Regulations and any violati	abels and tags only on genuine Khadi on of the same can draw appropriate
I/We declare that the informatio be solely responsible for any vio	n given above is true and volation of the same that may	will be adhered to strictly and I/we will y entail legal action against me/us.
	Secretary	Treasurer
Chairman/President (with seal)	(with seal)	(with seal)

Form II
(See clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 22)

'Khadi Mark' Registration Form
Khadi and Village Industries Commission, "Gramoday", 3 Irla Road,
Vile Parle (West), Mumbai, Pin – 400056, Maharashtra, India.
Website: www.kvic.org.in

For Office He

			0	HICE	use	Only			
Institution/ Organization/ Person Name	T	III	T					TIT	
	1	111							
Application Number			T			Date	of receipt		
Name of the State/Division Office						of A	pplication		
Name of the assigned Accredite Not applicable in case of certific	d Age ed kha	ncy adi ins	titution	s)		7,			
Work Flow						3			
Document	Ver (✓)	rified	Nam	ne and	l Desigi	nation o	f Sign	Date	Remark
Received completed application form with all enclosures									
Accredited agency assigned for inspection								+	
Receipt of inspection report from accredited agency									
Recommendation of the proposal to Central Khadi Mark Committee (CKMC)									
Approval of CKMC				-		-	-	_	
Khadi Mark to be issued/ rejected									
Date of issue of Khadi Mark tags and labels									
						1	T TOTAL	-	-
	4	Ack	now	vled	geme	nt Sli	ip		
Application Number						7			
eceived application from						T	_		- HIE II
ith an application fee by demar	d dra	ft of R			DD No		on		
and brailers			alon	g with a	III enclos	ures.			
		311					- 3	Sign of the	KVIC official

'Khadi Mark' Registration Form for Certified Khadi Institutions
Khadi and Village Industries Commission, "Gramoday", 3, Irla Road,
Ville Parle (West), Mumbai, Pin-400056. Maharashtra, India. Website: www.kvic.org.in

Name Registered Address of the Institution/Organization/ Person Phone / Fax Mailing Address (If different from above) Phone / Fax						
4. A. Type of Institution/Organ Society (under SRA) Co-operative Society	Sation/Person(Tick wh Trust Panchayati Raj Inst		Registrat Place of	Details ion number Registration		
Company	Registered Govt B				ed Person with	H
SHG Entrepreneur	Educational Institu	-	Designat	ion	- 1	
5. Details of Khadi Activities Production Sales Annual Production (Rs. in Annual Sales (Rs. in lakh)	(<) Export Others lakh)	N N	lumber of Produ lumber of Sales lumber of Spinn lumber of Weave lumber of other lumber of other	outlets ers ers artisans		
6. Annual Volume of Sales of H						
Categories	Cotton		Silk		Wool	Ш
Retail	Wholesale	Retail	Wholesale	Retail	Wholesale	
Yardage (meters)						
Ready to use (Nos)						
7. Particulars of Payment for Application of Khadi Mark	DD No/	Amount Rs	Dated	_ Branch		

^{*} Whenever the Institution/organization/person updates any of these, it is liable on the institution/organization/person to immediately notify KVIC of the same.

Checklist of documents to be submitted with registration form

Document to-be annexed Tic	k Documents to be annexed Tic
Address and contact of all Production Centres and sales outlets (As per Annexure 1)	Attested copy of Memorandum of Association / Bye-laws
List of all khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark (As per format in Annexure 2)	Certified list of Managing Committee/ Board Members/ Trustees with Photos and ID proof (copy of PAN Card / Driving License/ Voters ID/ Passport)
List of Artisans with details (As per format in Annexure 3)	Copy of Audited balance sheet and Profit & Loss Account for last 3 years
Resolution of Managing Committee / Management approaching KVIC for Khadi Mark (As per format in Annexure 4)	Copy of registration certificate
Affidavit on Stamp paper of the value as per State Stamp Act) (as per Annexure 5)	

Terms and Conditions:

Issue of the Khad mark shall be governed under the Khadi Mark Regulations, 2013

2.

The applicant shall undergo the process of screening, verification and testing of Khadi samples by Accredited Agencies appointed by KVIC from time to time.

The applicants who comply with all the conditions prescribed under these regulations shall be authorised to use Khadi Mark as provided by the KVIC from time to time.

Note: Certified Khadi Institutions need not undergo the process of screening, verification and testing of Khadi.

Mere submission of application for 'Khadi Mark' does not entitle the applicant to use 'Khadi Mark'

I/We have carefully read and understood the terms and conditions regarding the "Khadi Mark' and I/we solemnly affirm that the information furnished in this form and the documents annexed by me/us are true and correct. I/We agree to abide by the rules and regulations formulated from time to time in accordance with the guidelines issued by Commission. I/we will never do anything that may infringe ethos of Khadi. Further, I/we promise not to misuse the 'Khadi Mark'

ridge	
Dated	
Dated	

(Authorized Signatory) Seal with Designation

Address and contact of all Production Centres

Production Centre 1. Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:	Production Centre 2 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:
Phone: Fax:	Phone:
Production Centre 3 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:	Production Centre 4 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick) Address:
Phone: Fax:	Phone: Fax:

Address of all Sales Outlets

Sales outlet 1 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick); Address:	Sales outlet 2 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:
Phone: Fax:	Phone:
Sales outlet 3 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:	Sales outlet 4 Ownership Status: Owned / leased / rented Existing / Proposed (Tick): Address:
Phone: Fax:	Phone: Fax:

^{*}If More than four production centers kindly attached a separate sheet.

^{*}If More than four sales outlets kindly attached a separate sheet.

List of all Khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark

4000	Table 1				-
Product	Qty	Product	Qty	Product	Qty
National Flag		Salwar		Khes	
Shirts		Ladies tops		Mattress	
Kurta		Maxi		Gallicha	
Pyjama		Skirt		Bed sheet	
Trouser		Night gown		Quilt items	
Jacket		Petticoat	1	Gamcha	MI I
Banian		Lehnga		Towel	
Jerkin	U.S.	Choli/Koti		Musand	
Sherwani		Cushion cover		Blanket	
Achkan		Pillow cover		Aasan	
Under garments		Darri		Dhoti	
Lungi		Saree		Blouse piece	
Suit piece		Shirt piece	İ	Chadder	
Shawl		Stole		Gloves	
Chunri		Angvastra		Apron	
Tie		Scarf		Muffler	
Blazer		Caps		Bags/purse	
Yardage(metres)		Than (metres)		Yarn Bundle (metres)	
Any other items					P T

Note: - Items such as hand kerchief, duster cloth, pocha, nada and any such other small items will not be affixed either with hang tag or sew-in labels.

Average earning per month = (Total earnings / Number of months worked)

Annexure 3

List of Artisans with details

Name of Artisan	Pass	Address	whe	rever	wherever applicable)	(e)			Average	Bank / Post
	Number	0000000	Spinners	SLS	Weavers	/ers	Sex (M/F)	Age	ber	office
			Traditional NMC	237	Traditional Improved	Improved			month	Account no.
				1		T				
				Ħ		Ì				
				1			l	T		
					T	T	Ī	T	1	
				1	T			T		
								T		
				+		1		T	1	
						+		1		
				-	1	-		t	1	
				-						The second
								t		
				-		-		-	1	

Sample Resolution of Institution/Organization/Person approaching KVIC for Khadi Mark

To be submitted on the Institution's/Organization's/Person's Letter head

Board/Managing Committee meeting no: _	Dated:
Agenda Item No:	
Sub: Application for Khadi Mark	
	Resolution
Resolved that, to apply for the Khadi Mark a unanimously decided to authorize Shri comply with all requisite formalities prescri	as per the guidelines issued by KVIC and it has been to bed by the KVIC in this regard
	•
Certified True Copy	
Yours faithfully	
For (Name of the Member) 1. Authorized Signatory (Name of Designated Director/ Presid	dent/ Proprietor/Chairman)
Authorized Signatory (Name of Designated Secretary/Trea	
Rubber stamp Place:-	

Date:

Annexure 5

Format for Self Declaration

Affidavit for using Khadi Mark labels and tags on hand-woven, hand-spun, Khadi vastra (Affidavit to be affixed on Stamp Paper of the value as per State Stamp Act)

To,
Central Khadi Mark Committee
Khadi and Village Industries Commission
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Gramodaya, Irla Road, Vile Parle (W) Mumbai – 400 056
Monipal – 400 056
Dear Sir,
*I/We hereby confirm/undertake that (Name of the lostifulian)
(Name of Actionistation) registered
has/have been selling/trading in Khadi and Khadi products and we have been certified by the Khadi and Village Industries Commission under a Code and products and we have been certified by the Khadi and
Village Industries Commission under a Code and possess a valid Khadi Certificate issued by the Commission. I/We confirm that
Our institutions produces paguing the discourse
Our institutions produces genuine khadi vastra and products i.e. hand spun, hand woven and of natural fibre as defined in the KVIC Act.
Khadi Mark Regulations 2013 has come into force from and under the act, no person or institution shall sell or otherwise trade in Khadi or Khadi products
obtaining a Khadi Mark Certificate.
Similarly no textiles shall be said as traded at
Similarly, no textiles shall be sold or traded otherwise as Khadi in any form or manner without it bearing a Khadi Mark.
These Khadi Mark labels and tags will only be seed
These Khadi Mark labels and tags will only be used on genuine cotton, wool, silk or mixture of these Khadi vastra i.e. hand-spun, hand-woven.
we will be solely responsible for the usage of Khadi Mark labels and tags only on genuine Khadi vastra
as specified under the Regulations and any violation of the same can draw appropriate legal actions
We declare that the information given shows is two and the control of the control
We declare that the information given above is true and will be adhered to strictly and I/we will be solely responsible for any violation of the same that may entail legal action against me/us.
Yours faithfully,
or (Name of the Member)
. Authorized Signatory
Name of Designated Director/ President/ Proprietor/Chairman)
. Authorized Signatory
Name of Designated Secretary/Treasurer/ Vice President/Vice Chairman)
Rubber stamp
Place:-

Form III

(See clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 22)

'Khadi Mark' Renewal Form
Khadi and Village Industries Commission, "Gramoday", 3 Irla Road,
Vile Parle (West), Mumbai, PIN – 400056, Maharashtra, India.
Website: www.kvic.org.in

For Office Use Only

					001530	0.000	100		,							
Institution/ Organization/		T	T	T	7		-	-		-	-					
Person Name						-		-	-	-		1				
							-		-	1						
Application Number								1	Date	of a	eceipt	-	-	-		
ame of the State/Division	Office								of A	plic	ation	L				6
ame of the assigned Accr	edited A	Agen	су	(Not	appli	cable	for ce	rtifie	d kha	di in	stitutio	ns)			7	
Work Flow			-		+			H		+		-		=		
Document			Verifi	ed	Na	ime ar	nd De:	signat	tion o	f	Sign		Date		Ren	nark
Received completed app form with all enclosures		T				10.0	icial				PARK		Salida	88		
Accredited agency assigning inspection (not applicable certified khadi institution	for			Ī	Ħ											
Receipt of inspection rep accredited agency (not applicable for certified kh institutions)	adi							Ì		T						0.
Recommendation of the p to Zonal Khadi Mark Com (ZKMC)	roposa mittee	1										H				
Approval of ZKMC								-	-		-	\vdash	_			
Khadi Mark to be issued/ renewed /rejected		T		П				T								
Date of Issue of Khadi Ma and labels	rk tags					Ĭ				#		H				
			A	ckr	nov	vled	gen	nen	t SI	ip					****	*****
Application Number		T	I	T	T	1										
eceived application from _										on			-			
th an application fee by de	mand o	iraft	of Re	s			DD	No.		0.1		-		-		
ink/branch						-	long v			-						

Sign of the KVIC official

'Khadi Mark' Renewal Form

Khadi and Village Industries Commission, "Gramoday", 3 Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai, PIN – 400056, Maharashtra, India. Website: www.kvic.org.in

3.	Name Registered Address of the Institution/ Organization/Person Phone / Fax Mailing Address (If different from above) Phone / Fax							
4.	Whether holds a valid Certificate: Yes No Khadi Certificate v]	Khadi Certificate Date of issue of	100			Assist KVIC	ed by
5.A	Type of Institution/Or Society (under SRA) Co-operative Society Company SHG	P	rust rust ranchayati Raj Inst registered Govt. Bi ducational Instituti others Specify	itution ody	Place of F Date of ce	on number legistration entificate he Authorise	d Person w	ith
6.	Date of Expiry of Valid		Mark*	Tii		,,,		
7.	Production : Annual Productio Annual Sales (R:	Sales	Export Oth	ers	Number Number Number No. of	er of Product er of Sales of er of Spinner er of Weaver other Artisar er of other st	utlets s s ns	
8.	Annual Volume of Sale	of Khadi ar	nd Khadi products		 		1	
Cate	gories	Cot	ton		Silk		-	Wool
Vard	age (meters)	Retail	Wholesale	Retail	Wholes	ale	Retail	Wholesale
Read	ty to use (Nos)							
	Particulars of Payment for application of Khadi mark Not applicable for Cert	DD No. Bank _		Amount Rs		Date Bran		D M M Y Y

Period between the date of application for renewal and the date of expiry should be less than six months
 "Whenever the institution/organization updates any of these, it is liable on the institution to immediately notify KVIC of the same.

Check List of documents to be enclosed along with the renewal form

Documents to be annexed for all Institutions	Tick	Additional documents to be annexed for Institutions that do not have a Khadi certificate	Tick
Address and contact of all Production Centres and sales outlets (As per Annexure 1)		Attested copy of Memorandum of Association / Bye-laws	91
List of all khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark (As per format in Annexure 2)		Copy of Audited balance sheet and Profit & Loss Account for last 3 years	
List of Artisans with details (As per format in Annexure 3)		Certified list of Managing Committee/Board Members/Trustees with Photos and ID proof (copy of PAN Card / Driving License/Voters ID/ Passport	
Copy of Khadi certificate (applicable to the existing Khadi Institutions)		Resolution of Managing Committee/Board approaching KVIC for Khadi Mark renewal (As per format in Annexure 4)	
Copy of registration certificate		Demand Draft of required amount (Not applicable for certified khadi institutions)	
Affidavit on Stamp paper of the value as per State Stamp Act) (as per Annexure 5)			

Terms and Conditions:

Renewal of the Khadi mark shall be governed under the Khadi Mark Regulations, 2013.

The applicant shall undergo the process of screening, verification and testing of Khadi samples by Accredited Agencies appointed by KVIAC from time to time.

 The applicants who comply with all the conditions prescribed under these regulations shall be authorized to use Khadi Mark as provided by the KVIC from time to time.

Note:

Certified Khadi Institutions are exempted from the process of screening, verification and testing of Khadi Samples.

Mere submission of application for 'Khadi Mark' does not entitle the applicant to use 'Khadi Mark'

I/we have carefully read and understood the terms and conditions regarding the "Khadi Mark" and I/we solemnly affirm that the information furnished in this form and the documents annexed by me/us are true and correct. I/we agree to abide by the rules and regulations formulated from time to time in accordance with the guidelines issued by Commission. I/we will never do anything that may infringe ethos of Khadi.

Further, liwe promise not to misuse the "K	nadi Mark
Place :	
Dated :	
	(Authorized Signatory)
	Seal with Designation

Address and contact of all Production Centres

Production Centre 1. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Production Centre 2. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Address: Address: Phone: Phone: Fax Fax: Production Centre 4. Ownership Status : Owned/leased/rented Production Centre 3. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Existing/Proposed (Tick) Address Address: Phone: Phone: Fax:

Address of all Sales Outlets

Sales outlet 1. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Address:	Sales outlet 2. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Address:
Phone:	Phone:
Sales outlet 3. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Address:	Sales outlet 4. Ownership Status : Owned/leased/rented Existing/Proposed (Tick) Address:
Phone:	Phone:

If More than fo

Fax: Fax:

If More than four production genters kindly attached a separate sheet.

List of all khadi products manufactured and desirous of being labeled with Khadi Mark

Product			AP 3.75 (A. C.)	sold per year	
	Qty	Product			
National Flat		Salwar	Qty	Product	Qty
Shirts	100	Ladies tops		Khes	
Kurta		Maxi		Mattress	
Pyjama	1000	Skirt		Gallicha	
Trouser		Night gown		Bed sheet	
Jacket		Petticoat		Quilt items	
Banian				Gamcha	
Jerkin		Lehnga		Towel	
Sherwani	-	Choli/Koti		Musand	
Achkan		Cushion cover		Blanket	
Under garments		Pillow cover		Aasan	
ungi		Dami		Dhoti	
Suit piece		Saree		Blouse piece	
Shawl		Shirt piece		Chadder	1000
Chunri		Stole		Gloves	
ie -		Angvastra			
18.	SEPTEMBER 1	Scarf		Apron	
lazer	SHEET !	Caps		Muffler	
ardage(Metres)		Than(Metres)		Bags/purse	
		, , and incured to		Yarn Bundle	
ny other items	- 10 10 10 1			(Metres)	

Note:Items such as hand-kerchief, duster cloth, pocha, nada and any such other small items will not be affixed either with hang tag or sew – in labels.

List of Artisans with details

Name of Artisans	Artisans	Address					-			
Book Number	Book Number						Sex (MF) Age	Age	Average earnings per month	Bank / I
			Traditional	NMC	Traditional NMC Traditional Improved	Improved				2
					100					
								1		
								1		
								1		
								1		

Attach separate sheet for each production centre

Average earning per month = (Total earnings / Number of months worked)

Sample Resolution of Institution/Organization/Person approaching KVIC for Khadi Mark Renewal

To be submitted on the Institution's/Organization's/Person's Letter head

Board/Managing Comm	ittee meeting no:	Dated:
Sub: Application for Kh	adi Mark	
	Resoluti	on
Resolved that, to apply funanimously decided to comply with all requisite	or the Khadi Mark as authorize Shri formalities prescribe	per the guidelines issued by KVIC and it has been
Certified True Copy		
Sd/- Chairman/President	Sd/- Secretary	Sd/- Director/President/Proprietor/Chairman
Seal		

Format for Self Declaration

Affic	lavit for using Khadi Mark labels and tags on hand-woven, hand-spun, Khadi vastra
Date:	(Affidavit to be affixed on stamp paper of the value as per State Stamp Act)
Khadi and Ministry	hadi Mark Committee d Village Industries Commission of Micro, Small and Medium Enterprises ya, Irla Road, Vile Parle (W) - 400 ¢56
Dear Sir,	
registered	eby confirm/undertake that (Name of the Institution) registered (Name of Act/legislation under which the institution is 1) has/have been selling/trading in Khadi and Khadi products and we have been
cerunea	by the Khadi and Village Industries Commission under a Code and possess a valid tificate issued by the Commission. I/We confirm that
Our instit	utions produces genuine khadi vastra and products i.e. hand spun, hand woven and of ire as defined in the KVIC Act.
person or	rk Regulations 2013 has come into force from and under the act, no institution shall sell or otherwise trade in Khadi or Khadi products in any form or ithout obtaining a Khadi Mark Certificate.
Similarly, bearing a	no textiles shall be sold or traded otherwise as Khadi in any form or manner without it Khad Mark.
These Kh these Kha	adi Mark labels and tags will only be used on genuine cotton, wool, silk or mixture of di vastra i.e. hand-spun, hand-woven.
vastra as	e solely responsible for the usage of Khadi Mark labels and tags only on genuine Khadi specified under the Regulations and any violation of the same can draw appropriate ons against us/me
I/We decla	are that the information given above is true and will be adhered to strictly and I/we will responsible for any violation of the same that may entail legal action against me/us.
Yours faith	fully,
	For (Name of the Member)
(Name of Designated Director/ President/ Proprietor/Chairman)
	. Authorized Signatory
	Name of Designated Secretary/Treasurer/ Vice President/Vice Chairman)
	Rubber stamp

Form IV Acknowledgement of receipt (See sub-regulation (2) of regulation 26)

	2,4	SI. No
Received a complaint from Shri/Smt residing at		
Testung at		
regarding		
- Cyarding		
Bill/cash memo No.:		
Khadi Mark tag no:		a
inclosed: Copy of the bill/cash memo		
		Authorised Signator

JE No. 4(08) 2011-KVIJ SURENDRA NATH TRIPAHII, Jt. Secy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054